Con. 3.5.4.47
750

अंक 5
संख्या 4

बुधवार
20 अगस्त,
सन् 1947 ई.

भारतीय विधान-परिषद्

के

वाद-विवाद

की

सरकारी रिपोर्ट

(हिन्दी संस्करण)

विषय-सूची

		पृष्ठ
1.	परिचय-पत्रों की पेशी और रजिस्टर पर हस्ताक्षर	1
2.	शपथ ग्रहण करना	2
3.	झंडोत्तोलन संबंधी भारत के कुछ भागों की घटनायें	2
4.	संघ-अधिकार-समिति की रिपोर्ट	17
5.	स्वाधीनता कानून, अनुकूल, नियम आदि के संबंध में विचार	53
6.	परिशिष्ट	55

भारतीय विधान-परिषद्

बुधवार, 20 अगस्त, सन् 1947 ई॰

भारतीय विधान-परिषद् की बैठक कांस्टीट्यूशन-हाल, नई दिल्ली में दिन के 10 बजे से माननीय डा॰ राजेन्द्र प्रसाद के सभापतित्व में हुई।

परिचय-पत्रों की पेशी और रजिस्टर पर हस्ताक्षर

नीचे लिखे हुए मेम्बरों ने रजिस्टर में अपने हस्ताक्षर किये:

(1) माननीय श्रीयुत गोपीनाथ बोरदोलोई (आसाम: जनरल)

(2) माननीय रेवरेंड जे॰जे॰एम॰ निकोल्स राय (आसाम: जनरल)

(3) श्री निवारण चंद्र लश्कर (आसाम: जनरल)

(4) श्री ए॰बी॰ लाठे (कोल्हापुर)

(5) चौधरी निहाल सिंह तक्षक (पंजाब-राज्य ग्रुप 3)

***श्रीयुत रोहिणी कुमार चौधरी** (आसाम: जनरल): कुछ ऐसे मेम्बर हैं जो 14 की रात को हाजिर नहीं थे, इसलिए उस दिन वे शपथ नहीं ले सके।

***अध्यक्ष:** हम अब इसी प्रश्न को लेंगे।

मेम्बरों को याद होगा कि 14 की रात परिषद् ने एक प्रस्ताव पास किया था जिसके द्वारा यह आवश्यक कर दिया गया था कि, परिषद् के सदस्यों को निर्धारित रूप में प्रतिज्ञा करनी चाहिए। उन सदस्यों ने जो उस रात को मौजूद थे, यह प्रतिज्ञा की थी, लेकिन मैं समझता हूं कि उस रात कुछ लोग गैर-हाजिर भी थे। निश्चय ही ऐसे सदस्य भी हैं जो इस परिषद् में आज ही सम्मिलित हुए हैं वे सारे सदस्य जिन्होंने अब तक प्रतिज्ञा नहीं की है, अब इस समय कर सकते हैं।

---

*इस चिह्न का अर्थ है कि यह अंग्रेजी वक्तृता का हिन्दी रूपान्तर है।

शपथ ग्रहण करना

***अध्यक्षः** जिन लोगों ने प्रतिज्ञा नहीं की है वे कृपया अपनी-अपनी जगह पर खड़े हो जायें।

(जिन्होंने पहले प्रतिज्ञा नहीं की थी, वे अपनी-अपनी जगहों पर खड़े हो गये।)

***अध्यक्षः** मैं प्रतिज्ञा पढ़ता हूं और सदस्यों को चाहिये कि वे भी इस प्रतिज्ञा को मेरे साथ दुहराते जायें।

(इसके बाद सभापति महोदय ने अंग्रेजी व हिंदुस्तानी में प्रतिज्ञा पढ़ी और जिन सदस्यों ने पहले ऐसा नहीं किया था, उन्होंने नीचे लिखे अनुरूप प्रतिज्ञा ग्रहण की।)

प्रतिज्ञा

अब जब कि हिंदवासियों ने त्याग और तप से स्वतंत्रता हासिल कर ली है, मैं..... जो इस विधान-परिषद् का एक सदस्य हूं, अपने को बड़ी नम्रता से हिंद और हिंदवासियों की सेवा के लिए अर्पण करता हूं, ताकि यह प्राचीन देश संसार में अपनी उचित और गौरवपूर्ण जगह पा लेवे और संसार में शांति-स्थापन करने और मानव जाति के कल्याण में अपनी पूरी शक्ति लगाकर खुशी-खुशी हाथ बटा सके।

झंडोत्तोलन संबंधी भारत के कुछ भागों की घटनायें

***श्री आर०के० सिधवा** (मध्य प्रांत व बरारः जनरल): इसके पहले कि हम आज की कार्रवाई शुरू करें, मैं आपका ध्यान तत्काल सार्वजनिक महत्व के एक अति गम्भीर विषय की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं, जो यह है। खबर है कि स्वाधीनता दिवस को आगरा के किले (आगरा फोर्ट) में लाखों आदमी झंडोत्तोलन समारोह देखने के लिए इकट्ठे हुए थे। उस दिन की खबर है कि किसी ब्रिटिश कमान के आदेश से एक ब्रिटिश अफसर ने कहा कि यदि 'यूनियन जैक' नीचा करके नया झंडा फहराया जाने को है, तो मैं किन्हीं भी सैनिकों को इस समारोह में शामिल होने की इजाजत न दूंगा। सभी लोगों को घोर निराशा हुई किंतु भारतीय सैनिकों में से एक ने भारतीय यूनियन का हमारा झंडा फहरा कर दर्शकों को शांत किया। मैं इस सभा के माननीय नेता से जानना चाहूंगा कि यह बात कहां तक सच है और यदि सच है, तो इस अति गंभीर मामले में, अर्थात् जहां कहीं भी

राष्ट्रीय झंडे का किसी ब्रिटिश अफसर द्वारा अपमान हुआ हो, वे क्या कार्रवाई करने जा रहे हैं? मैं एक उदाहरण और भी पेश करना चाहता हूं। यह भी खबर है कि हैदराबाद राज्य के भारतीय डाकखाने में हमारा झंडा फहराया गया और हैदराबाद के अधिकारियों ने उसे नीचे खींच लिया। सभा के माननीय नेता से मैं जानना चाहूंगा कि यह भी कहां तक सच है और यदि सच है, तो हमारे इस राष्ट्रीय झंडे को, जो भारत सरकार की सम्मत्ति पर फहराया गया था, सुरक्षित रखने के लिए वे क्या कार्रवाई करने जा रहे हैं? स्वाधीन निजाम की बलवती सरकार चाहे जो कुछ हो, यह केन्द्रीय सरकार इस मामले में क्या करने जा रही है। हम किसी भी रूप में और किसी के भी द्वारा, अपने राष्ट्रीय झंडे का अपमान सहन नहीं कर सकते। अतएव मेरी आपसे प्रार्थना है कि कृपा कर आप इस सभा के माननीय नेता से इस विषय में वक्तव्य देने का अनुरोध करें।

***श्री बालकृष्ण शर्मा** (संयुक्त प्रांत: जनरल): श्रीमान्, इससे पहले कि आप इस सभा के नेता से उक्त अधिकारियों के आचरण के संबंध में स्थिति स्पष्ट करने का अनुरोध करें, मैं भी एक बात की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। वस्तुत: समारोह होने के लगभग तीन या चार दिन पहले, मैंने माननीय सरदार बलदेव सिंह, माननीय पंडित जवाहरलाल नेहरू तथा माननीय सरदार वल्लभभाई पटेल का ध्यान कानपुर में दो फौजी अफसरों द्वारा जारी किये गये दो आदेशों की ओर दिलाया था। इनमें से एक आदेश कर्नल हिलमैन का था, जो कानपुर में सी॰ओ॰डी॰ के इंचार्ज हैं और दूसरा एक अन्य फौजी अफसर का था जो टेकनीकल ब्रांच के इंचार्ज हैं। इन आदेशों में निश्चित रूप से कहा गया था कि यदि ऐसी आज्ञा मिले कि यूनियन जैक नीचे उतार दिया जाये तथा उसके स्थान में कोई दूसरा झंडा फहराया जाये, तो कोई भी समारोह न किया जायेगा। और यह भी कहा गया था कि यदि फौजी अधिकारी, सिविल अधिकारियों द्वारा ऐसे किसी समारोह में सम्मिलित होने के लिए निमंत्रित किये जायें, तो उनमें से कोई भी शरीक न हो। ये आदेश यू॰पी॰ एरिया के कहने पर निकाला गया था। मैं नहीं जानता कि इसका क्या अर्थ है; शायद यू॰पी॰ कमान से है, जो संयुक्त प्रांत में सारे सैनिक संचरण तथा सैनिक शक्ति की शासन-व्यवस्था करती है हां तो सी॰ओ॰डी॰ और टेकनीकल स्टाफ के भारतीय कर्मचारी हम लोगों के पास, कानपुर की कांग्रेस कमेटी के लोगों के पास आये और इन आदेशों की ओर हमारा ध्यान आकृष्ट किया। मैंने भारत के माननीय प्रधान मंत्री तथा संयुक्त प्रात के माननीय प्रधानमंत्री से भी इस मामले पर ध्यान देने की प्रार्थना की। मुझे मेरे माननीय मित्र

[श्री बालकृष्ण शर्मा]

श्री कृष्णदत्त पालीवाल से और सूचना मिली है कि आगरा में भी कोई झंडा फहराया नहीं गया और केवल भारतीय कर्मचारियों ने ही इन आदेशों के बावजूद झंडा फहराने की कोशिश की, पर मैं नहीं कह सकता कि वे इसमें सफल हुए या नहीं। झांसी में, कानपुर में तथा आगरा में, कम से कम मेरे प्रांत के सभी सैनिक अड्डों में इस प्रकार के हुक्म निकाले गये। यह स्वाभाविक है कि मैं जानना चाहूंगा आया ये हुक्म केन्द्रीय सरकार की निगाह में लाए गए थे।

***अध्यक्ष:** क्या मैं कह सकता हूं कि आज हम लोग यहां विधान तैयार करने की कार्रवाई के लिए एकत्र हुए हैं। हमारी यह बैठक भारत की व्यवस्थापिका सभा के रूप में नहीं हो रही है, जहां इस प्रकार के तथा अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न उठाये जा सकें। अतएव सदस्यों से मैं प्रार्थना करूंगा कि इन्हें वे उस समय के लिए सुरक्षित रखें जब हमारी बैठक व्यवस्थापिका सभा के रूप में हो और विधान-परिषद की बैठक में उन्हें न उठायें, क्योंकि यहां हमारा कार्य केवल विधान निर्मित करने से संबंध रखता है, न कि दिन प्रतिदिन की वास्तविक शासन-व्यवस्था से। बेशक, मैं स्वयं अपने दिमाग में अभी तक व्यवस्थापिका सभा (लेजिस्लेटिव असेम्बली) और विधान निर्मातृ-परिषद (कांस्टिट्युएन्ट असेम्बली) के बीच का भेद साफ तरह से नहीं समझ पाया हूं कि इन दोनों के बीच की सीमा-पंक्ति कहां है। किंतु यह बैठक विशेषकर उसका विधान-निर्माण का कार्य निपटाने के लिए बुलाई गयी है, और हम आज वही कार्य संभाल रहे हैं।

***श्री बालकृष्ण शर्मा:** आपके आदेश से पूर्णत: बद्ध होते हुए भी क्या मैं बता सकता हूं कि विधान-परिषद् ने ही देश का शासन-सूत्र संभाला है। विधान-परिषद् के रूप में हम लोगों ने ही ब्रिटिश सरकार से इस देश की शासन-व्यवस्था अपने हाथ में ली है। इसलिए श्रीमान्, मेरा ख्याल है कि भारतीय यूनियन की केन्द्रीय व्यवस्थापिका सभा के रूप में एकत्र न होने पर भी विधान-परिषद् में समय-समय पर इस प्रकार के प्रश्न उठा सकने का हमें अधिकार है।

***अध्यक्ष:** सभा के नेता को नहीं मालूम था कि इस समय यहां इस प्रकार के प्रश्न उठाये जायेंगे, इसलिए इस क्षण वे यहां मौजूद नहीं हैं।

***एक माननीय सदस्य:** वे यहां मौजूद हैं।

***अध्यक्ष:** मुझे खेद है। वे अपनी जगह पर मौजूद नहीं थे। मैं उन्हें सभा के अन्य भाग में देखा करता था। मैं नहीं जानता कि इन मामलों पर इस समय वे कुछ कहना चाहेंगे या नहीं।

सेठ गोविंददास (मध्य प्रांत और बरार: जनरल): सभापति जी, इसके पहले कि माननीय प्रधानमंत्री साहब कुछ कहें, मैं इस संबंध में जबलपुर की एक घटना आपके सामने उपस्थित करना चाहता हूं।

जबलपुर भी एक प्रधान फौजी स्थान है, वहां फौजी परेड हुई है, जितनी सरकारी इमारतें थीं उन पर और खास बड़ी बड़ी इमारतों पर झंडा फहराया गया, यहां फौजी इमारतों पर बिना किसी रस्म अदाई के झंडा फहरा दिया गया। जिस प्रकार गैर फौजी सरकारी इमारतों पर झंडा फहराते समय उत्सव हुए वैसे फौजी इमारतों पर झंडा फहराते हुए नहीं। यह कहा गया कि केन्द्रीय सरकार से आज्ञा आई है कि बिना किसी प्रकार के जल्से या बिना किसी प्रकार के उत्सव के फौजी इमारतों पर झंडा फहराया जाये। फौजी इलाकों में कुछ ऐसे दफ्तर भी थे जिनमें काम करने वालों को यह भी कहा गया कि वहां झंडे फहराये ही नहीं जा सकते।

मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या इस संबंध में गैर फौजी अफसरों को एक तरह की और फौजी अफसरों को दूसरी तरह की आज्ञा हुई थी या दोनों की आज्ञाएं एक तरह की थी। और जो कुछ जबलपुर में किया गया है, वहां के फौजी अफसरों ने स्वयं ही किया?

***माननीय श्री हुसैन इमाम** (बिहार: मुस्लिम): सभापति महोदय, क्या मैं केवल एक क्षण के लिए बीच में बोल सकता हूं जो प्रश्न उठाया गया है, बड़े ही महत्व का है कि आया यह सभा केवल विधान-निर्मातृ सभा के रूप में काम कर रही है या व्यवस्थापिका सत्ता के रूप में भी। 14 तारीख तक, हम लोगों के ऐसे किसी भी प्रश्न का विचार करने पर रोक थी, जो कानून निर्माण संबंधी कार्य कहा जा सकता हो। किंतु उस दिन की आधी रात से, भारत के शासन का समस्त अधिकार हाथ में लेने पर, अब यह उचित ही है कि इस सभा के सदस्यों को तत्काल सार्वजनिक महत्व के विषयों पर विचार किये जाने के लिए कार्य-स्थगन प्रस्ताव पेश करने का कुछ मौका दिया जाना चाहिए। मैं नहीं कहता कि व्यवस्थापिका सभा का सारा कार्य हमें अभी संभाल लेना चाहिए, जिसके अनुसार एक घंटे का समय प्रश्नोत्तरों के लिए और शेष समय कानून बनाने के काम में लगाया जाया करे। इसका अर्थ तो वास्तव में विधान बनाने के समय का बहुत बड़ा भाग हड़प लेने और इस प्रकार प्रस्तुत कार्य में विलम्ब करने का होगा। किंतु कार्य-स्थगन प्रस्ताव पेश कर सकने का अधिकार अति महत्वपूर्ण तथा मौलिक अधिकार है, जो लोकतंत्र का एक संरक्षण है, जिसकी हमें रक्षा करनी है और

[माननीय श्री हुसैन इमाम]

जिसे इन दिनों प्राप्त करने की हमारी बड़ी इच्छा है। इसलिए मेरा सुझाव है कि माननीय सभापति महोदय, केन्द्रीय व्यवस्थापिका सभा (असेम्बली) के कार्य-स्थगन प्रस्ताव संबंधी नियम इस सभा में लागू करने के लिए स्वीकार कर लें, ताकि की यदि और जब आवश्यक हो, इस सभा में तत्काल महत्व के सार्वजनिक विषयों की चर्चा छेड़ी जा सके।

***पं. लक्ष्मीकांत मैत्र** (पश्चिमी बंगाल: जनरल): श्रीमान् सभापति महोदय, मेरे माननीय मित्र श्री सिधवा तथा श्री बालकृष्ण शर्मा ने जो प्रश्न उठाया है, उसकी अवहेलना नहीं की जा सकती। इस संबंध में सभापति के आसन से जो बातें कही गई हैं, उन्हें मैं खूब समझता हूं। वास्तव में अभी यह कह सकना कठिन है कि आया यहां हम द्विविधि रूप में—भारतीय विधान-निर्मातृ परिषद् के सदस्यों के रूप में और भारतीय उपनिवेश की पार्लियामेंट (कानून बनाने वाली व्यवस्थापिका सभा) के सदस्यों के रूप में—कार्य कर रहे हैं। कुछ भी हो, पर यह सही है कि भारतीय विधान-परिषद् के सदस्यों के रूप में बैठक करते हुए भी समय-समय पर इस प्रकार के तत्काल महत्व के प्रश्नों का उठाना निश्चित है और उनका विचार संभवत: उस समय तक के लिए नहीं रोके रखा जा सकता है, जबकि हम भारतीय उपनिवेश की पार्लियामेंट के रूप में कार्य संभालेंगे। वास्तव में हम अभी भी यह नहीं जानते कि वह समय कब आने वाला है, जब हम उपनिवेश (डोमिनियन) की विशुद्ध पार्लियामेंट के रूप में, न कि विधान-निर्मातृ-परिषद् के रूप में कार्य करेंगे। कोई नियम तैयार नहीं किये गये हैं और हमें इस बात का कोई पता नहीं दिया गया है कि आया विधान-निर्माण का कार्य समाप्त करने से पहले हम व्यवस्थापिका सभा (लेजिस्लेटिव असेम्बली) या औपनिवेशिक पार्लियामेंट (डोमिनियन पार्लियामेंट) के रूप में कार्य कर भी सकेंगे। इसलिए जब तक हम नहीं जान पाते कि व्यवस्थापिका सभा के रूप में हम कब से कार्य कर सकेंगे, निश्चय ही तब तक हमें महत्व के ऐसे विषयों की जैसे कि इस समय सभा के सामने रखे गये हैं, चर्चा छेड़ने के मौके दिये जाने चाहियें।

अब रहा प्रश्न की उपयुक्तता के संबंध में; सो श्रीमान्, यद्यपि उसका संबंध विशुद्धत: शासन-व्यवस्था के काम से है, पर सभा को याद होगा कि झंडोत्तोलन समारोह, भारतीय राष्ट्रीय झंडे की स्वीकृति के निश्चय इस सभा में ही सर्वसम्मति से किये गये थे और झंडोत्तोलन समारोह एक सार्वजनिक उत्सव था जिसे यह

रूप स्वाधीन भारतीय उपनिवेश की सरकार के तत्वावधान में ही प्रदान किया गया था। इसलिए भारत-सरकार के इन आदेशों के उल्लंघन का प्रश्न, जिसकी सूचना मेरे माननीय मित्र श्री सिधवा तथा श्री बालकृष्ण शर्मा ने दी है और जिसकी खबर समाचार-पत्रों में भी प्रकाशित हो चुकी है, निश्चय ही ऐसा विषय है, जिसकी चर्चा अवश्य होनी चाहिए। श्रीमान्, विधान-परिषद् के कार्य-विधि संबंधी नियमों द्वारा वर्जित होने के कारण भले ही इस समय कार्य-स्थगन का प्रस्ताव पेश करना संभव न हो, किंतु निश्चय ही व्यवस्थापिका सभा के रूप में हमारे कार्य न करने तक के लिये ऐसे नियम बना दिये जाने चाहियें या प्रथा कायम कर ली जानी चाहिये, ताकि ऐसे प्रश्नों की चर्चा व विचार किया जा सके, जैसे कि इस समय सभा में पेश किये गये हैं। श्रीमान्, आपके ही समान मैं भी यह अनुभव करता हूं कि ठीक विभाजक रेखा के संबंध में हमारी स्थिति स्पष्ट एवं निश्चित नहीं है, उस रेखा के संबंध में जो हमारी विधान-परिषद् के सदस्य तथा भारतीय उपनिवेश-पार्लियामेंट के सदस्य की हैसियतों के बीच पार्थक्य स्थापित करने के लिए खींची जा सके। किंतु ऐसा होने से पहले के समय तक के लिए, नियमानुसार ऐसा होने से पहले के लिए, कम से कम कोई प्रथा (कंवेन्शन) कायम कर लेना आवश्यक है।

माननीय प्रधान मंत्री से प्रार्थना की जा सकती है कि वे इस संबंध में वक्तव्य दें और सारी बातें स्पष्ट करें तथा यह भी बतायें कि इस मामले में किस प्रकार की कार्रवाई करने का उनका विचार है। तब तक के लिये यदि वे वक्तव्य दे देंगे, तो हम लोगों को संतोष हो जायेगा। मैं नहीं समझता कि पूर्ण रूप में कार्य-स्थगन प्रस्ताव पेश किये जाने और उस पर विचार होने की कोई आवश्यकता है। किंतु इससे पृथक हमारा यह निश्चित मत है कि इस प्रकार के महत्वपूर्ण मामले पर भारत के माननीय प्रधान मंत्री को ऐसा वक्तव्य देना ही चाहिये, जिससे कि हमें संतोष हो जाये। महत्व के इस विषय पर मुझे इतना ही कहना है।

***श्री महावीर त्यागी** (संयुक्त प्रांत: जनरल): श्रीमान्, व्यवस्था-संबंधी एक बात है।

***श्री एच०वी० कामत** (मध्य प्रांत व बरार: जनरल): श्रीमान्, क्या आप इतनी कृपा करेंगे कि हमें बता दें कि हम औपनिवेशिक व्यवस्थापिका-सभा के रूप में यहां विशुद्धत: एवं पूर्णत: कब एकत्र होंगे?

***श्री महावीर त्यागी:** श्रीमान्, व्यवस्था-संबंधी जो बात मैं कहना चाहता हूं वह यह है कि हम दोनों ही देश की विधान-निर्मातृ सभा के रूप में और व्यवस्थापिका सभा के रूप में एक साथ काम नहीं कर सकते। ऐसी स्थिति बहुत ही परस्पर-भिन्न होगी, क्योंकि पार्लियामेंट के चर्चा संबंधी विषयों के अंतर्गत हमें सरकार की नीति पर बहस करनी पड़ सकती है और स्वाभाविक है कि सरकारी नीति पर बहस होने के लिए एक स्पीकर (अध्यक्ष) की आवश्यकता होती है, जो निष्पक्ष हो और सरकार का सदस्य भी हो। विधान-निर्मातृ सभा में हम सरकार के रूप में अथवा सरकारी पक्ष या गैर-सरकारी पक्ष के रूप में नहीं बैठते। इसमें तो हम सब व्यक्तिगत रूप में बैठते और विधान-निर्माण-कार्य में अपना श्रेष्ठतम योगदान देते हैं और हमारे विचार-विमर्श का सभापतित्व आप करते हैं। उस ओर के मेरे माननीय मित्र के सुझाव के अनुसार यदि हम यहां निंदा के प्रस्तावों तथा कार्य-स्थगन प्रस्तावों पर विचार करना आरंभ कर दें, तो हमें अलग-अलग गुटों या दलों के रूप में बैठना होगा, जिससे अनेक कठिनाइयां पैदा होंगी। हमें अपने-अपने दलों के पक्ष में मत देने होंगे और स्वभावत: हमें अपने को कितने ही अनुशासित पार्टियों में विभाजित करना होगा। इस प्रकार सारी नियमित चर्चा अस्त-व्यस्त हो जायेगी। इसलिए मेरा सुझाव है कि यदि हमें उक्त दोनों प्रकार के कार्य एक साथ ही करने हैं, तो यह सब हम उसी दिन एक ही निश्चित दिवस या स्थान पर नहीं कर सकते। हमें समय बांटना होगा और समय-विभाग रखना होगा। हमें घोषणा करनी होगी कि अमुक दिन हमारी बैठक विधान-सभा के रूप में होगी, ताकि हम आपके सभापतित्व के अधीन आसन ग्रहण कर सकें और जैसा कि अब तक करते आये हैं, कार्य सम्पन्न करें। इसी प्रकार यदि हम उपनिवेश की व्यवस्थापिका सभा के रूप में बैठें, तो हमें अपने इस इरादे की घोषणा करनी होगी और दल-गत गुटों के रूप में बैठना, अपने दलों के प्रति वफादार रहना तथा अपने दल के प्रस्तावों का समर्थन या विरोधी दलों के प्रस्तावों का विरोध करना होगा। परन्तु इस अवस्था में हमारे लिए यह जरूरी नहीं है कि हम मंत्रियों या अन्य लोगों द्वारा पेश किये जाने वाले प्रस्तावों का समर्थन ही करें। इसलिए मेरी अर्ज यह है कि उसी सभा में और उसी सभापतित्व में हम विधान-सभा तथा व्यवस्थापिका सभा दोनों का ही काम नहीं चला सकते।

***अध्यक्ष:** श्री संतानम्!

***माननीय पं. हृदयनाथ कुंजरू** (संयुक्त प्रांत: जनरल): सभापति महोदय, इस सभा के एक माननीय सदस्य ने व्यवस्था-संबंधी प्रश्न उठाया है।

***श्री के॰ संतानम्** (मद्रास: जनरल): मैं व्यवस्था-संबंधी प्रश्न पर ही बोल रहा हूं।

***माननीय पं. हृदयनाथ कुंजरू:** मेरी अर्ज है कि पहले उस प्रश्न का निर्णय हो जाना चाहिये और उसके बाद ही किसी सदस्य को बोलने की अनुमति दी जाये।

***श्री के॰ संतानम्:** मैं व्यवस्था संबंधी प्रश्न पर ही बोल रहा हूं। इस प्रश्न में दो बातें हैं। इस परिषद् की हैसियत क्या है? इस हैसियत की व्याख्या करने के बाद यह निश्चय करना है कि उसे किस प्रकार काम करना चाहिये। तर्क किया गया है कि इस परिषद् की दो हैसियतें हैं, एक विधान-सभा (परिषद्) के रूप में और दूसरी व्यवस्थापिका सभा के रूप में। मेरा खुद का मत है कि उसकी सिर्फ एक हैसियत है और वह विधान-परिषद् की है। भारतीय स्वाधीनता-एक्ट के अनुसार कहा गया है कि उपनिवेश की व्यवस्थापिका सभा के अधिकार पहले-पहले उपनिवेश की विधान-परिषद् द्वारा प्रयोग में लाये जा सकेंगे। यही वह परिषद् है, एक अविभाज्य संपूर्ण सभा, जिसे औपनिवेशिक व्यवस्थापिका सभा के अधिकारों का प्रयोग करना है। अतएव इस सभा को दो रूपों में विभक्त करने का कोई अभिप्राय नहीं है, कोई मतलब नहीं है। मेरा विचार है कि यह कहना गैर-कानूनी है कि यह सभा आज तो विधान-परिषद् है और कल व्यवस्थापिका सभा है। यह एक ही संस्था है। सुविधा के लिए हम कुछ समय एक कार्य में और कुछ समय दूसरे कार्य में लगा सकते हैं और यदि आवश्यक हो तो हम नियमों की दो अवलियां भी रख सकते हैं। मैं नहीं समझता कि यह बात पैदा करना किसी के लिए जायज है कि चूंकि आज वह व्यवस्थापिका सभा नहीं है, इसलिए उसमें कोई प्रश्न विशेष नहीं उठाया जा सकता और कल वह केवल व्यवस्थापिका सभा ही है, इसलिए दूसरे प्रकार का प्रश्न नहीं उठाया जा सकता। हमें इसे एक संस्था के रूप में समझना चाहिये। इन दोनों कार्यों के नियंत्रण के लिए कार्य-विधि संबंधी नियम तैयार करने के लिए एक कमेटी बनाई जा सकती है। इसलिए मेरा सुझाव है कि इस सभा की हैसियत के संबंध में आज उचित समय से पूर्व कोई निर्णय न किया जाना चाहिये और न कोई व्यवस्था ही दी जानी चाहिये। वकीलों को इस विषय पर सावधानी से विचार करना चाहिये और हमें किसी बात से बंध न जाना चाहिये कि अनेक प्रकार की कठिनाइयां उपस्थित हो जायें।

***मि॰ तजम्मुल हुसैन** (बिहार: मुस्लिम): अब श्रीमान्, हम यहां विधानपरिषद् के सदस्यों के रूप में उपस्थित हैं। निस्संदेह 15 अगस्त को हमने यूनियन

[मि. तजम्मुल हुसैन]

पार्लियामेंट के सदस्यों के रूप में अधिकार ग्रहण किया था, किंतु आप द्वारा आज हम विधान-परिषद् के अधिवेशन में उपस्थित होने के लिए बुलाये गये थे, न कि यूनियन की पार्लियामेंट के अधिवेशन के लिए। श्रीमान्, हम लोग यहां इस सभा द्वारा निर्मित कार्य-विधि के नियमों (रूल्स आफ प्रोसिड्योर) और स्थायी आदेशों से अनुशासित होते हैं। अन्य कोई नियम नहीं है, जिससे कि हम अनुशासित हों, हम केवल इन्हीं नियमों से बंधे हैं। आज हम विधान-परिषद् के सदस्यों के रूप में बैठक कर रहे हैं, न कि पार्लियामेंट (व्यवस्थापिका सभा) के सदस्यों के रूप में; क्योंकि यदि हम पार्लियामेंट की बैठक कर रहे होते, तो भारत-सरकार के सब सदस्यों (मंत्रियों) को आज यहां पर उपस्थित होना था। श्रीमान्, फर्ज कीजिये कि सार्वजनिक शिक्षा के संबंध में एक अत्यधिक तत्काल महत्व के प्रश्न पर यहां विचार होता है, ऐसी दशा में आप शिक्षा-विभाग के इंचार्ज सदस्य की उपस्थिति यहां चाहेंगे ही, किंतु वे यहां उपस्थित नहीं हो सकते, क्योंकि वे विधान-परिषद् के सदस्य नहीं हैं। इसलिए मेरी अर्ज है कि यद्यपि विचाराधीन विषय निःसंदेह बड़े महत्व का है और भारत के माननीय प्रधानमंत्री को उसके संबंध में कोई गंभीर कार्रवाई करनी है, किन्तु अपने नियमों के अनुसार इस विषय का विचार हमारी ताकत के बिल्कुल बाहर है। इसलिए व्यवस्था संबंधी मेरी बात यह है कि हम आज यहां विधान-परिषद् के सदस्यों के रूप में बैठक कर रहे हैं और इस रूप में हम स्वयं अपने नियमों से बंधे हैं और उपस्थित विषय का विचार नहीं कर सकते।

श्री आर०वी० धुलेकर (संयुक्त प्रांतः जनरल): सभापति जी, जो प्वाइंट आफ आर्डर पेश किया गया है, उससे मैं सहमत नहीं हूं। 15 तारीख के बाद से यह कांस्टीट्यूएंट असेम्बली पूर्ण अधिकार रखती है। अब इसकी दो सूरतें नहीं हैं। 15 तारीख के पहले यह कांस्टीट्यूएंट असेम्बली थी और उस समय यह कहा जा सकता था कि इसे इस तरह के अधिकार नहीं हैं, जिनसे यह कानून बना सके या जो अधिकार उसके शासन का है उसमें रद्दोबदल कर सके। 15 तारीख से संपूर्ण अधिकार जो भारतवर्ष के शासन का है या विधान बनाने का है, वह सब सम्मिलित हैं और हम एक ही स्थान पर बैठकर उसे पूर्ण कर सकते हैं।

एक और भी सवाल उठाया गया है कि 15 तारीख को यह कहा गया था कि कांस्टीट्युएंट असेम्बली 20 तारीख के लिए बुलाई गयी है। मेरा कहना यह है कि संपूर्ण अधिकार कांस्टीट्युएंट असेम्बली को दिये गये हैं। इसमें कोई खास फर्क नहीं है। जिस वक्त हम यहां बैठेंगे उस वक्त हर समय हर एक काम

हम कर सकते हैं। यह बात दूसरी है कि सुविधा के लिए हम दस बजे से एक बजे तक विधान की बातें कर सकते हैं, उसके बाद तीन बजे से बैठकर पांच बजे तक हम शासन की बात कर सकते हैं, लेकिन हमें यह पूर्ण अधिकार प्राप्त है और हमारे इस कार्य में कोई कानूनी रुकावट नहीं है। मैं समझता हूं कि जो सज्जन यह कहते हैं कि हमारे मार्ग में कानूनी रुकावटें हैं, वे कानून के विरुद्ध काम करते हैं। उन्हें इंडेपेंडेंट एक्ट देखना चाहिए और यह भी देखना चाहिये कि जब कि शासन हमारे हाथ में है, हम ऐसा भी कर सकते हैं कि इस बार हम यहां से चले जायें और महीने दो महीने बाद बतौर कानून बनाने वाली समिति के यानी लेजिस्लेचर के बुलाये जायें। इसलिए प्वाइंट आफ आर्डर जो आपके सामने उपस्थित किया गया है, मेरा ख्याल है वह उचित नहीं है। हमारी केवल एक सूरत है कि हम विधान भी बनायेंगे और उसके साथ शासन भी करेंगे।

***श्री टी॰ प्रकाशम्** (मद्रास: जनरल): श्रीमान्, यह कहना गलत है कि विधान-परिषद् की इस सर्व-सत्ता-युक्त संस्था की हैसियत एक और अविभाज्य है। 15 अगस्त के बाद से यह संस्था न केवल विधान निर्मित करने के संबंध में, बल्कि सर्व-सत्ता-युक्त व्यवस्थापिका सभा के रूप में आवश्यक कार्य करने के लिए भी सर्व-सत्ता-संपन्न संस्था हो गयी। अब श्रीमान् मेरी कोई ऐसी बात है, जो सर्व-सत्ता युक्त व्यवस्थापिका सभा के सामने रखी जाने को है और जिसका विधान-निर्माण से बहुत ही निकट संबंध है। मेरे मतानुसार जब तक वे बातें व्यवस्थापिका सभा में तय नहीं हो जातीं विधान-निर्माण का यह कार्य भी आगे नहीं बढ़ सकता इसलिए इस सभा की हैसियत द्विविध होनी चाहिये, ताकि जब भी जरूरत हो, यह सभा विधान-निर्माण के संबंध का समय व्यर्थ नष्ट किये बिना एक या दो महत्वपूर्ण प्रश्नों पर विचार करने के लिए अपने को एक सर्व सत्ता-युक्त व्यवस्थापिका सभा के रूप में परिवर्तित कर सके और उसके बाद विधान निर्मित करने के लिए फिर अपने को एक विधान-परिषद् के रूप में बदल सके। यही सही तथा विधानानुकूल स्थिति है। अतएव यह न समझा जाना चाहिये कि इसकी एक पूर्ण एवं अविभाज्य हैसियत है और जो भी अन्य मामले यहां उपस्थित किये जायें, उनकी परवाह किये बिना इसे विधान तैयार करने में ही न लगा रहना चाहिये।

***अध्यक्ष:** मैं समझता हूं कि इस बात पर हम लोग काफी विचार कर चुके। वस्तुत: दो प्रश्न उठाये गये हैं; इनमें से एक इस सभा की, जैसी कि वह आज है, हैसियत के संबंध में है और दूसरा उन घटनाओं के संबंध में है, जो 14-15

[अध्यक्ष]

को घटी हैं। अब मैं सभा के नेता से अनुरोध करूंगा कि इन दोनों ही प्रश्नों पर या उनमें से किसी एक प्रश्न पर जो भी वक्तव्य वे देना चाहते हों, देवें।

***माननीय पं. जवाहरलाल नेहरू** (संयुक्त प्रांत: जनरल): अध्यक्ष महोदय, मैं यह निश्चय नहीं कर पाया हूं कि इन प्रश्नों में से किसे हमें पहले लेना चाहिये, मुझे एक अड़चन रही है। जो कुछ भी इस सभा में कहा गया है, उसे मैं बहुत ध्यान से सुनने की कोशिश करता रहा हूं, पर यदि मोटे तौर पर कहा जाये, तो जो कुछ भी कहा गया है, उसका मैंने केवल एक चौथाई ही सुना है। मैं नहीं जानता कि इस भवन में शब्दों के ठीक सुनाई पड़ने के लिए जो व्यवस्था थी उसमें कोई अंतर पड़ा है या पिछले कई दिनों के हमारे अनुभवों के कारण हमारी आवाजें ही बदल गई हैं या कोई ओर बात हुई है। या तो लोग गर्ज कर बोले हैं या फुसफुसा कर। गर्जन समझ सकने में भी मुझे कठिनाई हुई है और फुसफुसाहट समझने में भी।

जो वैधानिक प्रश्न उठाया गया है, उसे यदि मैं एक विशेषज्ञ की भांति नहीं बल्कि न्यूनाधिक रूप में एक साधारण आदमी की भांति लूं, तो मुझे यह बिल्कुल साफ मालूम देता है कि यह सभा स्पष्टत: एक सर्व-सत्ता-युक्त सभा है और जो भी चाहे कर सकती है, किंतु यह मानते हुए कि सभा केवल यह कार्य करती है जिन्हें करने का उसने खुद निश्चय किया है। वह खुद अपने फैसले बदल सकती है। वह खुद अपने कायदे (नियम) बदल सकती है, पर जब तक वे नियम कायम हैं, वह खुद अपने नियमों का पालन करती है। यदि वह चाहे, तो उन्हें भी बदल सकती है। इसलिए इस बात में कोई संदेह नहीं है कि यदि वह चाहे तो कल से या और किसी समय से, इस सभा को, अपना काम एक व्यवस्थापिका सभा के रूप में चला सकने का अधिकार है, किंतु ऐसा करने से पहले उसे इसका निश्चय करना होगा और तदनुसार अपने नियम बनाने होंगे। इसलिए मैं अर्ज करूंगा कि हमारे लिए ठीक रास्ता यह है कि सभापति महोदय एक छोटी-सी कमेटी नियुक्त कर दें, जो दो-तीन दिन में हमें अपनी रिपोर्ट दे सकती है कि इस मध्यवर्ती काल के लिए हमें क्या नियम रखने चाहियें। जो हमारा वर्तमान स्वरूप है, उस रूप में हमारी एक व्यवस्थापिका सभा की भांति कार्य करने में एक स्पष्ट कठिनाई है। उदाहरणार्थ, प्रश्न किये जा सकते हैं, जिनका उत्तर संबंधित विभागों के मंत्रियों को देने होंगे। श्रीमान्, आप स्वयं सरकार के एक सदस्य हैं; और यदि खाद्य या कृषि-विभाग से संबंध रखने वाला कोई प्रश्न किया जाये, तो

क्या उसका उत्तर अध्यक्ष को देना होगा या किसे देना होगा? एक कठिनाई पैदा होती है। अनेक मंत्री इस सभा के सदस्य नहीं हैं। मैं समझता हूं कि मौजूदा नियमों के अनुसार भी वे इस सभा में उपस्थित हो सकेंगे और बिना मत दिये बोल सकेंगे, किंतु एक व्यवस्थापिका सभा के रूप में हमारे काम कर सकने से पहले, इन सारी बातों पर विचार करना और उन्हें साफ करना होगा। इसमें संदेह नहीं कि हम जो भी चाहें, नियम बना सकते हैं। यदि हमें पसंद हो तो हम मंत्रियों से यहां आने और इस सभा के सदस्यों के रूप में काम करने का अनुरोध कर सकते हैं। इसलिए मेरी अर्ज है कि सभापति महोदय को एक कमेटी नियुक्त करनी ही चाहिये जो 3 दिन में हमें रिपोर्ट दे सके कि इस मध्यवर्ती काल में हमें किस विधि से कार्य करना चाहिये। स्पष्ट है कि अभी हम विधान-परिषद् के रूप में बैठक कर रहे हैं, यद्यपि दूसरे रूप में भी हम बैठक कर सकते हैं। यह साफ है कि यदि इस विधान-परिषद् के सामने उसके इस रूप में करने के लिए काम न होता, और फर्ज कीजिये कि यूनियन विधान के सिद्धांत निर्धारित करने का आरंभिक कार्य हम दो-तीन सप्ताह पहले समाप्त कर चुके होते, तो आज हमारी बैठक न होती। उस कार्य विशेष के लिए हमने 14 की रात व 15 की सुबह बैठक की होती, और विधान-परिषद् का अगला अधिवेशन सितम्बर या अक्टूबर तक हम स्थगित रखते। अतएव हम इसलिए बैठक कर रहे हैं, क्योंकि दो सप्ताह पहले हम अपना कार्य नहीं समाप्त कर पाये थे और अब हम उसे अगले दो हफ्तों में या जो भी समय लगे, समाप्त करना चाहते हैं, ताकि वास्तविक विधान सविस्तार पूरा किया जा सके और तब हम किसी समय, संभवतः अक्टूबर में उस विधान को अंतिम रूप में पास करने के लिए बैठक कर सकें। इस प्रकार इस क्षण इस सभा से इत्तफाकिया एक व्यवस्थापिका सभा के रूप में काम लेने से हमारे सामने अनेक प्रकार की कठिनाइयां पैदा हो जायेंगी। लेकिन यदि सरकार के सदस्यों से सूचना प्राप्त करने या अन्य किसी बात के संबंध में सभा यही पसंद करती है तो स्वभावतः सरकार के सदस्य वह सूचना प्रदान करने में प्रसन्न होंगे। बात यह है कि हर चीज कायदे से की जानी चाहिये। इसलिए, श्रीमान्, मेरी अर्ज है कि सबसे अच्छा रास्ता यह होगा कि आप एक कमेटी नियुक्त कर दें, जो दो-तीन दिन में इस संबंध में अपनी रिपोर्ट दाखिल करे कि हमें किस तरीके से काम करना चाहिये और यदि जरूरत हुई तो उसके लिए हम फिर अपने नियम भी बदल लेंगे।

अब कुछ सदस्यों द्वारा किये गये प्रश्नों के संबंध में स्थिति यह है कि उनमें कुछ को तो मैं बिल्कुल ही नहीं समझ पाया। सेठ गोविंददास ने कुछ कहा था, किंतु सिवाय इसके कि उन्होंने जबलपुर के संबंध में कुछ कहा था, मैं यह कुछ भी न समझ पाया कि जबलपुर में क्या हुआ। मैंने उनकी बात सुनने की कोशिश

[माननीय पं. जवाहरलाल नेहरू]

की, पर मुझे दु:ख है, कि शायद अपनी ही श्रवण-शक्ति के कारण मैं न सुन सका। इसी प्रकार दूसरे सदस्य की बात भी मैं आसानी से नहीं सुन सका। किंतु संक्षेप में मैं यह कहूंगा कि साफ है कि सभा के ही समान सरकार भी इस बात को अत्यधिक से अत्यधिक महत्व देती है कि राष्ट्रीय झंडे का सम्मान होना चाहिये और उसके किसी भी असम्मान की, वह चाहे जहां हुआ हो, अवश्य जांच होनी चाहिये तथा उस पर जरूरी कार्रवाई की जानी चाहिये। आगरे के किले में हुई किसी घटना के संबंध में जिन दो-तीन बातों की सूचना दी गई है, उनकी जांच की जा रही है। मुझे विश्वास है कि संयुक्त प्रांतीय सरकार.....

***श्री बालकृष्ण शर्मा:** क्या मैं जान सकता हूं कि 'सभा' के माननीय नेता को इन्हीं घटनाओं के संबंध में भेजे गये मेरे तार मिले थे?

***माननीय पं. जवाहरलाल नेहरू:** मैं यह तुरंत नहीं बता सकता, क्योंकि पिछले चार या पांच दिनों में मुझे 7,000 तार मिले हैं और फौरन यह बता सकना कुछ कठिन है कि मुझे वह तार मिला था या नहीं। एक व्यक्ति के लिए या कई व्यक्तियों के गुट के लिए भी उन्हें छांटना या तेजी से पढ़ भी सकना वस्तुत: असंभव है। हम उनका काम पूरी तेजी से कर रहे हैं।

उन घटनाओं के संबंध में हम संयुक्त प्रांतीय सरकार से जांच कर रहे हैं और मुझे पक्का मालूम है कि हमारा रक्षा-विभाग भी जांच कर रहा है और हम आवश्यक कार्रवाई करेंगे।

जबलपुर के संबंध में मुझे कुछ भी मालूम नहीं है। यदि सेठ गोविंददास वहां की बातों की सूचना मुझे अलग देंगे, तो मुझे बड़ी प्रसन्नता होगी और हम उस मामले के संबंध में भी जांच व जरूरी कार्रवाई करेंगे।

***एक माननीय सदस्य:** हैदराबाद का क्या हुआ?

***माननीय पं. जवाहरलाल नेहरू:** मैं समझता हूं कि हैदराबाद के मामले में हमारे रियासती विभाग ने तुरंत जांच की और हैदराबाद सरकार ने इस बात से साफ इन्कार किया कि राष्ट्रीय झंडे का कोई अपमान हुआ है। उसने यह भी कहा कि राष्ट्रीय झंडे को उसने सर्वत्र फहराया जाने दिया है और निश्चय ही उसकी जानकारी में ऐसी कोई घटना नहीं घटी।

***अध्यक्षः** मैं समझता हूं कि परिषद् की हैसियत तथा कार्य का प्रश्न महत्वपूर्ण है और हमें उन नियमों का जो हमने यहां के कार्य-संचालन के निमित्त बनाये हैं तथा भारत-शासन-विधान में किये गये अनुकूल परिवर्तनों (अनुकूलन) का तथा स्वाधीनता-कानून का भी विचार करना है। इन सब चीजों का विचार करते हुए हमें मालूम करना है कि आया हम वैभागिक रूप में दो खंडों में काम कर सकते हैं या हमें एक ही संस्था के रूप में काम करना चाहिये। ये ऐसे प्रश्न हैं जिन पर विचार किया जाना आवश्यक है और मेरा ख्याल है कि सभा के नेता ने जो यह सुझाव रखा है कि इन सबका विचार करने तथा हमारे पथ-प्रदर्शन के नियमों के संबंध में सुझाव देने के लिए एक छोटी-सी उप-कमेटी नियुक्त कर दी जानी चाहिये, वह एक ऐसा सुझाव है जो इस सभा को स्वीकार होना चाहिये और मैं जानना चाहता हूं कि क्या सभा ऐसा किया जाना पसंद करेगी।

***माननीय सदस्यः** हां।

***अध्यक्षः** चूंकि सभा राजी है, इसलिए उप-कमेटी के सदस्यों के नामों की घोषणा मैं आज दिन में कर दूंगा और कमेटी से हम अनुरोध करेंगे कि वह यथासंभव शीघ्र अपनी रिपोर्ट दे दे।

अब हम विधान-परिषद् के रूप में अपना कार्य, जिसके लिए कि आज सवेरे यह बैठक हुई है, शुरू करेंगे। मैं श्री गोपालस्वामी आयंगर से अनुरोध करता हूं कि वे अपना प्रस्ताव पेश करें।

***श्री विश्वनाथ दास** (उड़ीसाः जनरल)ः सभा के नेता के वक्तव्य से उत्पन्न हुई एक बात, अर्थात् जिस कमेटी की तजवीज उन्होंने की है, उसके विचारणीय विषयों के संबंध में एक बात मैं कहना चाहता हूं। उन्होंने ठीक ही तजवीज की है कि जो मामले कमेटी के विचारार्थ सुपुर्द किये जायें, वे कार्य-विधि के ही संबंध के होने चाहियें। मैं समझता हूं कि कुछ अन्य प्रश्न भी हैं, जो उप-कमेटी के विचारार्थ सुपुर्द किये जाने चाहियें। इस विधान-परिषद् में 'मोघाबंदी (प्रांतों) तथा राज्यों के भी प्रतिनिधि हैं। इसलिए इन दोनों के ही प्रतिनिधि साथ-साथ कार्य करते हैं। अब श्रीमान्, यदि केवल कार्य-विधि का ही प्रश्न इस कमेटी के विचारार्थ सुपुर्द किया जाता है, तो राज्य-प्रतिनिधियों के कार्य करने तथा उनके मतदान के संबंध में कुछ कठिनाइयां हैं। मैं एक उदाहरण देता हूं। मान लीजिये कि हमें बजट पास करना है। जहां तक मालूम है, राज्यों ने केवल तीन विषय संघ-शासन के सुपुर्द किये हैं, मैं नहीं जानता यदि अन्य विषय भी सुपुर्द किये गये हों। यदि

[श्री विश्वनाथ दास]

ऐसी बात है तो बहुत अच्छा है, पर जहां तक समाचार-पत्रों की खबरों से मालूम हुआ है—क्योंकि अपने नेताओं से हमें इस संबंध में कुछ भी मालूम नहीं हुआ—उन्होंने तीन विषय ही सौंपे हैं। तो क्या इन तीन विषयों के अलावा अन्य विषयों के संबंध में कानून बनाते वक्त इन लोगों को विचार करने या मत देने का अधिकार होगा? इन अन्य विषयों के संबंध में, जो उक्त तीन विषयों से पृथक होंगे, राज्य-प्रतिनिधियों की स्थिति क्या होगी? ऐसी परिस्थिति में आपसे व सभा के नेता से मेरी तजवीज है कि उक्त कमेटी के विचारणीय विषय बढ़ा दिये जायें, ताकि वह (कमेटी) न केवल कार्य-विधि के संबंध में बल्कि कार्य तथा अन्य साथ के मामलों के संबंध में अपनी सिफारिशें पेश करे और स्थिति का पूरा चित्र हमारे सामने आ सके।

***अध्यक्षः** इस कमेटी के विचारणीय विषय बताने में मैं इस बात का ख्याल रखूंगा।

***श्री एच.वी. कामतः** श्रीमान्, मुझे एक छोटी-सी बात कहने की इजाजत दीजिये। मैं इस बात की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं कि सदस्यों की मेजों पर न तो 14 की रात के आपके अभिभाषण की प्रतियां, न 15 के सवेरे के गवर्नर-जनरल के भाषण की प्रतियां और न उसके उत्तर में आपके भाषण की प्रतियां रखी गई हैं और न अब तक वे हम लोगों को प्राप्त ही हुई हैं। क्या आप कृपा करके इस संबंध में कार्रवाई करेंगे?

***अध्यक्षः** मैं समझता हूं कि अब हम यूनियन पावर्स कमेटी का विचार शुरू करें।

***श्री शांतनु कुमार दास** (उड़ीसाः जनरल): श्रीमान्, क्या मैं आपके द्वारा इस सभा के नेता से मालूम कर सकता हूं कि पाकिस्तान सरकार ने उन लोगों के खिलाफ क्या कार्रवाई की है, जिन्होंने पाकिस्तान में हमारे राष्ट्रीय झंडे का अपमान किया है?

***अध्यक्षः** अब हम कार्य-सूची के अनुसार कार्य आरंभ करेंगे। यदि अन्य कोई प्रश्न है तो मैं समझता हूं कि उचित समय पर उनका विचार किया जा सकता है। श्री गोपालस्वामी आयंगर!

संघ अधिकार समिति की रिपोर्ट

***माननीय श्री एन॰ गोपालस्वामी आयंगर** (मद्रास: जनरल): श्रीमान्, मैं प्रस्ताव रखना चाहता हूं कि निश्चय किया जाये कि:

''विधान-परिषद् के 25 जनवरी, 1947 के निश्चय के अनुसार नियुक्त कमेटी द्वारा यूनियन के अधिकारों के क्षेत्र के संबंध में दाखिल की गयी दूसरी रिपोर्ट + का विचार करने के लिए परिषद् कार्यारम्भ करती है।''

श्रीमान्, माननीय सदस्यों में इस रिपोर्ट की प्रतियां पहले ही वितरित की जा चुकी हैं। किंतु सभा के सामने यह रिपोर्ट रखते हुए मैं कुछ शब्द कहना चाहूंगा, जो पहले इस विषय में होंगे कि सभा के सामने यह रिपोर्ट कैसे पेश होने को आई।

सभा को याद होगा कि काफी अरसा गुजरा, 25 जनवरी सन् 1947 को इस कमेटी का जन्म श्री राजगोपालाचार्य द्वारा जिन्हें अब इस उपनिवेश (डोमिनियन) के एक अत्यधिक महत्वपूर्ण प्रांत का गवर्नर देखकर हम सबको गर्व है, पेश किये गये एक प्रस्ताव से हुआ था। उस प्रस्ताव में....।

***मौलाना हसरत मोहानी** (संयुक्त प्रांत: मुस्लिम): श्रीमान्, व्यवस्था संबंधी एक बात है। मैंने एक संशोधन की सूचना दी है कि इस रिपोर्ट पर विचार न किया जाये।

***अध्यक्ष:** पहले प्रस्ताव पेश होने दीजिये।

***माननीय श्री एन॰ गोपालस्वामी आयंगर:** श्रीमान्, जिस समय उक्त प्रस्ताव स्वीकार किया गया था, हम मंत्रि-मिशन योजना क्रियान्वित करने का यत्न कर रहे थे। जैसा कि सभा को याद होगा, इस योजना द्वारा प्रांतों व राज्यों के एक संघ-शासन और सीमित संख्या में स्थूल रूप में वर्णित कुछ विषयों को संघ के अधीन रखने की व्यवस्था की गई थी तथा दोनों वस्तु एवं विधि (the substance

---

+परिशिष्ट

[माननीय श्री एन. गोपालस्वामी आयंगर]

and the procedure) संबंधी विभिन्न अन्य विवरण की, जिन्हें कि देश के दोनों बड़े दलों के नेता पहले ही स्वीकार कर चुके थे, व्यवस्था की गई थी। अब एक महत्वपूर्ण कार्य जिसे इस सभा को उस योजना के सिलसिले में निबटाना था, उस योजना के अनुसार केन्द्र को सौंपे गये विषयों के क्षेत्र के संबंध में था। जैसा कि मैं पहले ही कह चुका हूं, इन विषयों का जिक्र बहुत ही स्थूल रूप में किया गया था। उनमें ये चीजें थी—रक्षा व्यवस्था, पर-राष्ट्र विषय और यातायातादि (कम्युनिकेशंस) तथा इन विषयों के लिए आवश्यक अर्थव्यवस्था। उस योजना के अंतर्गत स्वीकार की गई बातों में से एक यह भी थी कि दोनों ही प्रांतों व केन्द्र, संघ-शासन, तथा यदि सभा का निश्चय गुट (ग्रुप) कायम करने का होता, तो इन गुटों के विधान बनाये जाने को थे। प्रांतों तथा गुटों के विधान खंडों (सेक्शनों) द्वारा बनाये जाने को थे, क्योंकि आरंभिक बैठक के बाद विधान-परिषद् इन्हीं खंडों (सेक्शन्स) में विभक्त हो जाने वाली थी। यह विधान तैयार करने का काम संभालने से पहले यह आवश्यक समझा गया कि केन्द्र के अधिकार-क्षेत्र की परिधि का भी—यदि मुझे इस शब्द का प्रयोग करने की अनुमति हो—कुछ निश्चय कर दिया जाना चाहिये अर्थात् उन विषयों का निश्चय कर दिया जाना चाहिये जो संघ-शासन के क्षेत्र के भीतर रहेंगे, ताकि शेष विषयों के लिए आवश्यक व्यवस्था प्रांतों अथवा, यदि गुट भी कायम किये जायें, तो प्रांतों तथा गुटों के विधानों के अंतर्गत कर ली जाये। इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए निश्चय किया गया था कि पहले हमें इन चार स्थूल श्रेणियों के अंदर पड़ने वाले वैयक्तिक विषयों की जांच का काम हाथ में लेना चाहिये। इस अभिप्राय से हमने एक कमेटी नियुक्त की, जो इस संबंध में जांच करे और सभा को अपनी रिपोर्ट दे। इस कमेटी की बैठकें हुईं और मेरा ख्याल है कि 17 अप्रैल को उसने अपनी रिपोर्ट दे दी। 28 अप्रैल को यह रिपोर्ट मैंने सभा के सामने पेश की। इसे पेश करते हुए मैंने कहा था कि सभा द्वारा रिपोर्ट पर विचार किये जाने का कोई प्रस्ताव मैं नहीं रख रहा हूं। इसका कारण यह था कि उस समय की स्थिति इतनी अनिश्चित थी कि उस रिपोर्ट पर विचार करके जो कुछ ही सप्ताहों में असामयिक हो जाने को थी, हम इस सभा का काफी समय व्यर्थ ही नष्ट करते। वास्तव में उस समय एक बड़ा ही भाग्य-निर्णायक निश्चय किया जाने वाला था और हम नहीं जानते थे कि इस निश्चय की रूप-रेखा कैसी रखी जाने को है, आया भारत अखंड रखा जाने को है या उसका विभाजन होने को है और यदि ऐसा भी है, तो इनकी तफसील की और क्या बातें रखी जाने को हैं। इन परिस्थितियों में मैंने सुझाया

कि सभा को उस समय इस कमेटी की पहली रिपोर्ट पर विचार करने की जरूरत नहीं है। मैंने यह भी बताया कि कमेटी को अपनी बैठक फिर करने और उन सिफारिशों पर जो उसने अपनी पहली रिपोर्ट में की हैं, उन राजनीतिक निर्णयों की दृष्टि से जो शीघ्र ही होने को है, फिर से विचार करने की आवश्यकता है। जैसा कि इस सभा को विदित है, वह निर्णय 3 जून को किया गया और प्राय: उसी तारीख से उस पर अमल भी शुरू हो गया और उसके बाद पार्लियामेंट ने भारतीय स्वाधीनता कानून भी पास कर दिया और श्रीमान्, इस कानून ने हमें 15 अगस्त से पहले के भारत के स्थान में दो स्वाधीन उपनिवेश (डोमिनियन्स) प्रदान किये हैं।

अब हमारा एक स्वाधीन उपनिवेश (डोमिनियन) है। 'हम स्वाधीनता के क्षेत्र में प्रविष्ट हुए हैं' इन शब्दों का प्रयोग मैं जानबूझकर कर रहा हूं, क्योंकि मैं नहीं समझता कि हमने जाकर उसे छीना है। वह वहां मौजूद था। हम प्रविष्ट हुये और कहा कि हमने शासन-सत्ता संभाल ली। और अब हमारे पास काम देने योग्य एक विधान मौजूद है, जो यदि मैं ऐसा कह सकूं, भारतीय स्वाधीनता कानून की व्यवस्थाओं तथा भारतीय स्वाधीनता कानून के अनुसार आवश्यक रूप में परिवर्तित भारत शासन विधान 1935 की व्यवस्थाओं का समन्वय है।

श्रीमान्, यह वर्तमान वस्तुस्थिति है। 28 अप्रैल के बाद यूनियन पावर्स कमेटी की बैठक फिर ऐसे समय हुई, जब भारतीय स्वाधीनता बिल तक पार्लियामेंट में पेश नहीं किया गया था। बेशक, हम जानते थे कि इस प्रकार का बिल पेश किया जाने वाला है, किंतु जिस समय हमने अपनी दूसरी रिपोर्ट तय की, उस समय हमें इस बात का पूरा निश्चय नहीं था कि अंततोगत्वा उस कानून की व्यवस्थाओं का स्वरूप क्या होगा। तो भी, हमने वह रिपोर्ट तैयार की। उसके बाद यह स्वाधीनता कानून बना। हमें जो अब प्राप्त है, एक डोमिनियन (स्वाधीन उपनिवेश) है, यदि मैं उसे 'डोमिनियन' कह सकूं, क्योंकि भारत शासन विधान के परिवर्तनों द्वारा उसे यही नाम दिया गया है। किंतु मुझे इसका पूरा निश्चय नहीं है, क्योंकि उस असाधारण गजट (गजट एक्स्ट्रा आर्डिनरी) की प्रतियां जो 14 की रात या 15 की सवेरे प्रकाशित हुआ समझा जाता है, अभी भी हमें मिलने को हैं, किंतु श्रीमान्, मैं समझता हूं कि उक्त परिवर्तनों द्वारा इस डोमिनियन का उल्लेख एक यूनियन के तौर पर किया गया है, जिसमें पहले के ब्रिटिश भारत के वे प्रांत शामिल हैं जो पाकिस्तान के नये डोमिनियन (स्वाधीन उपनिवेश) में सम्मिलित नहीं हुये हैं। इनमें वे देशी राज्य भी हैं, जो उपनिवेश में सम्मिलित हो गये हैं। जब मैंने 'प्रांतों' कहा तो मुझे दो प्रकार के प्रांतों का उल्लेख करना चाहिये था, जो कि इस देश में पाये जाते हैं अर्थात् गवर्नर के प्रांत और चीफ-कमिश्नर के प्रांत।

[माननीय श्री एन. गोपालस्वामी आयंगर]

इनके अतिरिक्त अन्य क्षेत्र भी हो सकते हैं जो उपनिवेश (डोमिनियन) में सम्मिलित किये जा सकते हैं। इस प्रकार वास्तव में अब इस देश में एक संघीय यूनियन (फेडरल यूनियन) है और इस संघीय यूनियन की शासन व्यवस्था, भारतीय स्वाधीनता कानून तथा संशोधित भारत शासन विधान की व्यवस्थाओं के अनुसार करनी होगी। अब श्रीमान्, यूनियन पावर्स कमेटी की इस रिपोर्ट में हमें संघीय यूनियन से, जो अब विद्यमान है, कुछ नहीं करना है। भविष्य में हम एक संघ-शासन स्थापित करने का यत्न कर रहे हैं और इस बात का विचार करने के लिए कि यह संघ-शासन क्या होना चाहिये, हमें उन अनिवार्य तत्वों का ख्याल रखना है जिनकी कि व्यवस्था एक संघ-विधान में करनी होती है। और संघ-विधान का एक अनिवार्य सिद्धांत यह है कि उसमें सर्व-सत्ता को इस विधि से विभाजित कर सकने के उपाय की व्यवस्था रहनी चाहिये कि केन्द्र की सरकार तथा यूनिटों की सरकारों में से प्रत्येक, एक निश्चित क्षेत्र के अन्दर सम-सूत्रित (को-आर्डिनेट) तथा स्वाधीन हो। सभा की सूचना के लिए मैं यहां संघ-शासन (फेडरेशन) की एक रूढ़िवादी परिभाषा उद्धृत कर सकता हूं, जिससे विदित होता है कि राजनीति-विज्ञान के विचारकों ने, उन लोगों ने जिन्होंने संघ-विधान तैयार करने में अपना समय लगाया है, संघ-शासन का क्या स्वरूप अपने मन में सोचा है। उदाहरणार्थ यहां मैं एक उदाहरण उपस्थित करता हूं, जो आस्ट्रेलियन विधान के संबंध में रायल कमीशन की 1929 की रिपोर्ट से लिया गया है। इस परिभाषा के लिये सर राबर्ट गैरन उत्तरदायी हैं, जिनका नाम संघ-विधानों के इतिहास में प्रसिद्ध हो चुका है। उन्होंने संघ-शासन (फेडरेशन) की व्याख्या यों की है–''शासन-व्यवस्था का एक स्वरूप, जिसमें सर्व-सत्ता (सावरेण्टी) अथवा राजनीतिक सत्ता केन्द्रीय तथा स्थानीय सरकारों के बीच इस तरह बंटी होती है कि उनमें से हरेक स्वयं अपने क्षेत्र में दूसरी से स्वाधीन है।'' श्रीमान्, इसे मैं रूढ़िवादी परिभाषा कहता हूं, क्योंकि यदि हम संसार की ओर देखें और उन संघ-विधानों की ओर देखें जो वस्तुतः विद्यमान हैं, तो मुझे करीब-करीब निश्चय है कि उनमें से एक भी ऐसा न निकलेगा जो इस परिभाषा की शर्तों के ठीक अनुरूप हो। केन्द्र तथा यूनिटों के बीच की रेखा इतने निश्चित रूप में नहीं स्थिर की गई है, जितना कि इस परिभाषा के अनुरूप होना चाहिये था। केन्द्र और यूनिटों का संबंध है। ऐसे मामले भी हैं जिनमें यूनिटों को केन्द्र पर निर्भर होना पड़ता है। संकट-काल के लिये संघ-शासन में नियंत्रण के अधिकार अवस्थित हैं, जब संघ-शासन यूनिटों के अधिकार क्षेत्र के ऊपर आरूढ़

हो सकता है और स्थिति को अपने हाथ में ले सकता है। इस प्रकार कार्य करने की वह पूर्ण स्वाधीनता, जिसका उल्लेख उक्त परिभाषा में किया गया है, व्यवहार रूप में नहीं आ पाई है। किंतु संघ-शासनों के इतिहास की एक खास बात है, जो यह है—हमारे लिये क्षेत्र की सीमा निर्धारित कर देना आवश्यक है जिसके कि अंदर एक ओर केन्द्र और दूसरी ओर यूनिट सर्व-सत्ता पूर्ण अधिकारों का प्रयोग कर सकें। वस्तुत: यही बात उन सब प्रयत्नों के पृष्ठ में रही है जो उन विषयों की, जो केन्द्र को सौंपे जाने चाहियें तथा उनकी, जो यूनिटों को सौंपे जाने चाहियें, या इस बात का विचार करके कि शेष अधिकार (रेजिडुअरी पावर्स) अन्ततोगत्वा कहां अवस्थित किये जाएं जो विषय यूनिटों द्वारा अपने लिये रख लिये जाने चाहियें, उनकी सीमा निश्चित करने के लिये विभिन्न संघ-शासनों में किये गये हैं।

अब, श्रीमान्, अपने देश के संबंध में हमारे सामने जो समस्यायें हैं, वे इतिहास में अन्य संघ-शासनों के सामने नहीं रही हैं। हमने संघ-शासन में वे क्षेत्र सम्मिलित करने का निश्चय किया है, जो 15 अगस्त से पहले ब्रिटिश सर्व-सत्ता के अधीन थे तथा वे क्षेत्र भी जो सिद्धांत रूप में स्वाधीन थे पर जो साथ ही ब्रिटिश ताज के अधीन थे। इन दो प्रकार के क्षेत्रों को एक संघ-शासन के अधीन करने में हमारे सामने वे समस्यायें उत्पन्न हैं, जो अन्यत्र संघीय-विधान निर्मित करने वालों के सामने उत्पन्न नहीं हुई थीं। इसके अलावा एक बात और है। वह यह कि प्रांतों की शासन व्यवस्था ऐसी योजना के अनुरूप करनी है जो राजतंत्रात्मक न हो, और देशी राज्यों को इस संघ-शासन में एक राजतंत्रात्मक रूप में सम्मिलित होना तथा उसमें रहना है। किन्तु मैं उन लोगों में से हूं जिनका ख्याल है कि लोकतंत्रात्मक शासन-व्यवस्था के तत्व पर इस प्रकार के अन्तर से, जिसका कि मैंने जिक्र किया है, कोई असर नहीं पड़ता, चाहे वह शासन-व्यवस्था का राजतंत्रात्मक रूप हो अथवा लोकतंत्रात्मक रूप हो। जहां तक मैं इस सभा का मत समझ पाया हूं, मैं समझता हूं कि इस सभा में हम लोग जिस बात से बंधे हैं यह है कि सरकार ऐसी होनी चाहिये जो व्यवस्थापक सभा के प्रति उत्तरदायी हो। यह उत्तरदायी शासन आप एक राजतंत्रात्मक प्रणाली के अधीन भी प्राप्त कर सकते हैं और एक प्रजातंत्रात्मक प्रणाली के अधीन भी। स्थिति का सार यह होने पर हम उन बेकार की कठिनाइयों के सहज ही पार लग सकते हैं, जो इस देश में इन दो प्रकार के क्षेत्रों में दो तरह की प्रणालियां मौजूद होने के कारण उठ रही हैं और साथ ही ऐसा संघीय-विधान विकसित कर सकते हैं जिसके द्वारा उक्त दोनों प्रकार के क्षेत्रों में शासन-व्यवस्था संबंधी कार्रवाइयों में सामंजस्य-पूर्ण तारतम्य स्थापित हो सके।

[माननीय श्री एन. गोपालस्वामी आयंगर]

श्रीमान्, अपना विधान तैयार करने में हमने इस बात का बराबर ध्यान रखा है। यूनियन के अधिकारों से संबंध रखने वाली इस कमेटी में भी हमने इसी सिद्धांत का बराबर ध्यान रखा है।

हमें जो कार्य करने को कहा गया है, उसकी एक-दो और विचित्रताओं की ओर सभा का ध्यान अब मुझे आकृष्ट करने दीजिये। जो पहले ब्रिटिश-भारतीय प्रान्त थे उनमें तथा देशी राज्यों में, केन्द्र को हम जिस मात्रा में अधिकार-क्षेत्र सौंपेंगे उसके विषय में हमारे कुछ अन्तर रखने का सिद्धांत किसी हद तक स्वीकार किया जा चुका है। यह माना जा चुका है कि राज्यों को अपना अधिकार-क्षेत्र समर्पित करना तथा संघ में सम्मिलित होना है। यह भी माना जाता है कि संघ के साथ उनका यह सम्मेलन कम-से-कम कुछ निश्चित विषयों के संबंध में होना चाहिये तथा अन्य संघीय विषयों के संबंध में उनका सम्मेलन उनकी मर्जी से होना चाहिये। मुझे यह कह सकने में प्रसन्नता है कि देशी राज्यों के साधिकार वैधानिक परामर्शदाताओं ने तथा देशी राज्यों की प्रजा के प्रतिनिधियों ने भी, यदि संभव हो तो, इस बात से राजी होने की बुद्धिमत्ता साधारणतः स्वीकार कर ली है कि केवल रक्षा-व्यवस्था, पर-राष्ट्र संबंध तथा यातायातादि (क्म्यूनिकेशन्स) के अंदर आने वाले विषय केन्द्र को सौंपने की अपेक्षा, उसे सौंपे जाने वाले विषयों का क्षेत्र अधिक विस्तृत होना चाहिये। किन्तु एकमात्र बात जिसकी अपील मैं इस सभा से करूंगा यह है कि वह इन परामर्शदाताओं से इस हद तक अनुरोध करे कि वे स्वीकार कर लें कि जो विधान हम बनायेंगे उसमें ऐसी कोई चीज नहीं है जो उन्हें उन कार्यों को क्रियान्वित करने में निरुत्साहित करे जिनको क्रियान्वित करने से मैं जानता हूं कि वे बहुत प्रसन्न होंगे यदि वे मेरी बात से, जिसका मैंने जिक्र किया है, संतुष्ट हो जायें।

अब श्रीमान्, इस बात से कि एक ओर देशी राज्यों द्वारा और दूसरी ओर ब्रिटिश-भारतीय प्रान्तों द्वारा केन्द्र को सौंपे जाने वाले अधिकार-क्षेत्र के परिमाण में हमें यह अन्तर रखना है, इस रिपोर्ट की रूप-रेखा पर, जिसे कि इस कमेटी ने सभा के सामने रखने का निश्चय किया है, काफी असर पड़ा है। आप देखेंगे कि रिपोर्ट के साथ विषयों की सूचियां दी गई हैं और इनका उल्लेख संघीय सूची, प्रान्तीय सूची तथा समवर्ती सूची के नाम से किया गया है। इस समय राज्यों का संबंध केवल संघीय सूची से ही है।

अन्तर की एक बात और भी है, जिसकी ओर मुझे आपका ध्यान दिला देना चाहिये। जब हम केवल मंत्रिमिशन योजना क्रियान्वित करने की कोशिश कर रहे थे, हमने मंत्रिमिशन का यह प्रस्ताव मान लिया था कि वे विषय जो केन्द्र को न दिये जायेंगे, प्रान्तों के नाम कर दिये गये समझे जायेंगे, और प्रान्तों के संबंध में यह भाषा इस्तेमाल की गई थी–''वे विषय जिन्हें राज्य संघ-शासन को न सौंपेंगे, उनके पास रह जायेंगे''। वस्तुतः यह न्यूनाधिक उसी के समान था अर्थात्, संघीय-विषयों को सूची-बद्ध करके जो कुछ रह गया, यानी शेष अधिकार, एक ओर प्रान्तों के पास और दूसरी ओर राज्यों के पास रहेंगे।

अब श्रीमान्, पहली रिपोर्ट पेश हो जाने के बाद जब इस कमेटी की बैठक हुई तो हम लोग उन प्रतिबन्धों से मुक्त हो गये जो हमने स्वयं मंत्रिमिशन योजना स्वीकार किये जाने के कारण अपने ऊपर लगा रखे थे, और कमेटी इस निष्कर्ष पर पहुंची कि हमें इस देश के केन्द्र को यथासंभव अधिक से अधिक शक्तिशाली बनाना चाहिये, किन्तु यह ख्याल रखते हुये कि प्रान्तों के लिये विषयों का समुचित विस्तृत क्षेत्र छोड़ा जा सके, जिसके कि भीतर उन्हें अपने इच्छानुसार व्यवस्था करने की अधिक से अधिक स्वतंत्रता हो। इस विचार के अनुकूल यह निश्चय किया गया कि हमें तीन पूरी सूचियां बना लेनी चाहियें, एक संघीय विषयों की, दूसरी प्रान्तीय विषयों की और तीसरी समवर्ती विषयों की और यह कि यदि कुछ विषय शेष रहें, यदि भविष्य में कोई ऐसा विषय उत्पन्न हो जो इन तीनों सूचियों में से किसी में न रखा जा सकता हो, तो जहां तक प्रान्तों का संबंध है वह विषय केन्द्र के पास रहा समझा जाये।

किन्तु फिर भी यह निश्चय ऐसा नहीं है जिसे कमेटी ने राज्यों पर भी लागू किया हो। आप इसका उल्लेख रिपोर्ट में भी पायेंगे। उसमें कहा गया है कि यह अवशिष्ट विषय जब तक कि राज्य उन्हें केन्द्र को सौंपना न चाहें, उन्हीं के पास रहेंगे। मैं नहीं जानता कि वे लोग जो इस सभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं, ऐसा कोई निश्चय करेंगे जिसकी कि आशा कमेटी ने यह कहते समय प्रकट की है, किन्तु हमें स्थिति को उसके वर्तमान स्वरूप में लेना है।

एक और भी बात है, जिसे हमें मान लेना महत्वपूर्ण है। प्रान्तों के मामले में अवशिष्ट विषय वे विषय हैं, जो उन तीनों लम्बी सूचियों में से किसी में नहीं हैं, जिन्हें कि हमने इस रिपोर्ट के साथ शामिल किया है। राज्यों के मामले में अवशिष्ट विषयों का अर्थ वास्तव में उन सारे विषयों का होगा जो संघीय सूची में शामिल नहीं हैं। मैं इस ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं, क्योंकि मेरे माननीय

[माननीय श्री एन. गोपालस्वामी आयंगर]

मित्र डाक्टर अम्बेडकर शायद यह चाहेंगे कि समवर्ती सूची की सब नहीं तो कुछ मदों के संबंध में भी, राज्य संघ में शामिल हों। कुछ लोग ऐसा होने के पक्ष में हैं। किन्तु जैसी कि वर्तमान वस्तुस्थिति है, जैसा कि रिपोर्ट का इस समय का स्वरूप है, वे सारे विषय जो प्रान्तीय सूची में दिये गये हैं, वे तमाम विषय जो समवर्ती सूची में हैं और वे विषय जो संघीय सूची में न सम्मिलित किये जा सकें–राज्यों के पास हैं।

यह एक ऐसा अंतर है, जिसे मैं समझता हूं सभा को इस रिपोर्ट पर विचार करते समय ध्यान में रखना चाहिये। श्रीमान्, जहां तक इस रिपोर्ट का संबंध है, मैं एक बात का ध्यान दिलाना चाहता हूं, वह इसीलिये कि इस संबंध में सम्भाव्य आशंकाओं से बचा जा सके कि आया कोई चीजें उसमें शामिल हैं या उससे निकाल दी गई हैं। पहली रिपोर्ट में इन चारों ही सिरनामों में से प्रत्येक के नीचे एक-एक विषय-सूची दी गई थी। विधान में कुछ अन्य व्यवस्थायें जो कि इन सूचियों में न रखी जा सकें शामिल करने की सिफारिशें भी उस रिपोर्ट के द्वारा की गई थीं, उदाहरणार्थ पहली रिपोर्ट के पैरा 2 (ए) का अंतिम वाक्य, जिसके द्वारा रक्षा के संबंध में हमारे ऐसी व्यवस्था करने का उल्लेख किया गया था जो भारत-शासन-विधान की 102 तथा 126 (ए) धाराओं में दी गई व्यवस्था के समान हो। इसके अलावा श्रीमान्, पैरा 2 (डी) का अंतिम उप-पैरा भी है, जिसके द्वारा कमेटी ने राज्य-प्रतिनिधियों की इच्छा के ख्याल से निश्चय किया था कि राज्यों के संबंध में कुछ समय निश्चित रहना चाहिये, जिसके भीतर वे अपने यहां की अर्थ-प्रणाली इस रूप में पुनः व्यवस्थित कर सकें कि वे शेष भारत के स्तर पर लाये जा सकें। यह व्यवस्था अब भी मौजूद है और दूसरी रिपोर्ट से निकाली नहीं गई।

अब श्रीमान्, स्वयं दूसरी रिपोर्ट ने कुछ अन्य बातों, निश्चित बातों का ध्यान दिलाया है....।

***श्री एच.वी. कामतः** सभापति महोदय, मेरी अर्ज है कि ध्वनि-वर्द्धक यंत्र (लाउड-स्पीकर) इतना अच्छा काम नहीं दे रहे हैं, जैसा कि वे 15 तारीख तक देते रहे हैं।

***अध्यक्षः** स्वतंत्रता मिलने से वे भी स्वतंत्र हो गये हैं, हम उनकी जांच करा कर उन्हें ठीक कराने जा रहे हैं।

***माननीय श्री एन० गोपालस्वामी आयंगरः** श्रीमान्, मैं कहना चाहता हूं कि यद्यपि प्रस्ताव यह है कि इस कमेटी की दूसरी रिपोर्ट पर विचार किया जाये, पर मैं समझता हूं कि सभा को पहली रिपोर्ट के उन अंशों पर विचार कर सकने का भी अधिकार है जो दूसरी रिपोर्ट में दी गई व्यवस्था के विपरीत न हो। श्रीमान्, स्वयं इन सूचियों की बात यह है कि कोई व्यक्ति जो सरसरी तौर पर उन्हें देखेगा शायद यही सोचेगा कि वे बहुत लंबी हैं, विशेषकर संघ-सूची के संबंध में जिसमें 87 मदें हैं, वह यही सोचेगा। लोगों का ख्याल हो गया है कि इस कमेटी ने बहुत सी मदें प्रांतीय तथा समवर्ती सूचियों से हड़प ली हैं और संघीय सूची में रखकर उसे अनुचित रीति से लंबा बना दिया है। मेरा विचार है कि यदि माननीय सदस्य इन सूचियों की परीक्षा करेंगे और 1935 के एक्ट से उनकी तुलना करेंगे, तो वे देखेंगे कि शायद एक-दो अपवादों को छोड़कर ऐसी कोई चीजें नहीं हैं, जहां हमने उक्त एक्ट द्वारा प्रान्तों के लिये रखे गये क्षेत्र का अतिक्रमण किया हो। जहां तक संघीय सूची का संबंध है, मैं एक और भी बात सामने रखना चाहता हूं। संघीय-सूची में हमने अनेक मदों को काटकर उनके टुकड़े कर दिये हैं और यह भी एक कारण है कि उसकी मदों की संख्या इतनी बढ़ गयी है। दूसरे, हमने अन्य विधानों से भी कुछ मदें, जो कि भारत-शासन विधान में नहीं थीं, रख ली हैं, किन्तु कमेटी के मत में उनमें कोई भी ऐसा नहीं है कि उनका प्रान्तीय या समवर्ती सूची में रखा जाना आवश्यक हो।

इस सिलसिले में एक और बात का भी मैं जिक्र कर सकता हूं। भारतीय-स्वाधीनता कानून से इस देश में पैदा एक सिर-दर्द वह तरीका भी था, जिसके अनुसार भारत-सरकार और देशी राज्यों की सरकारों के बीच का राजनीतिक संबंध होने को प्रोत्साहन दिया गया था। यदि वह एक्ट (कानून) या यों कहिये कि वह बिल, उसी रूप में कानून बन जाता जिसमें कि वह मूलतः निर्मित हुआ था, तो शायद यह संबंध-विच्छिन्नता एकदम पूरी ही होती, किन्तु उस बिल में ऐसी व्यवस्था सम्मिलित करने के लिये कुछ कदम उठाये गये, जिनसे कि समझा गया कि संकट की वह स्थिति टल जायेगी। तो भी, पार्लियामेंट द्वारा पास किये गये इस कानून (एक्ट) में जो कुछ भी शामिल किया गया, वह उसके आधे के भी बराबर नहीं था जिसकी कि मांग उस राजनीतिज्ञ के पूरे समर्थन के साथ यहां से की गयी थी, जो इस समय इस स्वाधीन उपनिवेश (डोमिनियन) का गवर्नर-जनरल है। हमें जो प्राप्त हुआ, वह हमारे उस दृष्टि-बिन्दु का, जिसका कि हमने यहां से अनुरोध किया था, एक अंशमात्र था और उसके द्वारा केवल उन आर्थिक संबंधों को कायम रखने की कोशिश की गयी थी जो केन्द्र और देशी

[माननीय श्री एन. गोपालस्वामी आयंगर]

राज्य के बीच विद्यमान हैं। यों कहा जा सकता है कि राजनीतिक संबंध की नित्यता को उसके द्वारा अनिश्चित दशा में छोड़ दिये गये। यदि कानूनी भाषा में कहा जाये तो वास्तव में, जब तक कि यह संबंध किसी न किसी प्रकार से पुनः स्थापित करने के लिये कोई कदम न उठाया जाये, उससे यह संबंध तोड़ दिया गया। और यहां मैं कह सकता हूं कि इस देश के लिये यह हर्ष की बात है कि पुनः संबंध स्थापन का यह कार्य संपन्न किया जा चुका है जिसका परिणाम यह है कि जहां तक इस संबंध का प्रश्न है, भारतीय स्वाधीनता कानून के अधीन भारतीय उपनिवेश के भीतर आज हमारी स्थिति उससे बहुत अच्छी है, जो 1935 के विधान के अनुसार थी। भारतीय उपनिवेश की भौगोलिक सीमाओं में पड़ने वाले राज्यों का बहुत बड़ा भाग उपनिवेश में सम्मिलित हो चुका है। इन राज्यों ने यह स्थिति भी स्वीकार कर ली है कि जिन विषयों के बारे में वे सम्मिलित हुये हैं, उपनिवेश उनके संबंध में कानून बना सकता है। यह स्थिति ऐसी है जो 15 अगस्त से पहले नहीं थी। उन्होंने, मेरा ख्याल है कि उनके अधिकांश ने, इस विधान-परिषद् में अपने प्रतिनिधि भेजे हैं और यह परिषद् उपनिवेश की व्यवस्थापिका सभा के रूप में कार्य करने जा रही है; इस प्रकार केन्द्र तथा राज्यों के बीच इस समय जो राजनीतिक एवं वैधानिक संबंध विद्यमान हैं, वह पिछले 150 वर्षों के इस संबंध की अपेक्षा कहीं अधिक सामीप्य का है। मैंने केवल राजनीतिक एवं वैधानिक संबंध का जिक्र किया है। मैं उस नियंत्रण की प्रभावकारिता का जिक्र नहीं कर रहा, जिसका प्रयोग पिछले दिनों इन देशी राज्यों पर किया जाता था। नियंत्रण की यह प्रभावकारिता मौजूदा स्थिति में जितनी कार्यक्षम हो सकती है, उसकी अपेक्षा शायद वह थोड़ा अधिक कार्यक्षम रही हो, किन्तु जिस बात की ओर मैं विशेष ध्यान दिलाना चाहता हूं यह है कि हमने एक अजीब राजनीतिक एवं वैधानिक ढांचा खड़ा कर लिया है, जिसने 15 अगस्त से काम करना भी शुरू कर दिया है। मैं समझता हूं कि इसका श्रेय पहले राज्यों में जनमत की महान् जागृति को दिया जाना चाहिये। उसके बाद इसका श्रेय, उपनिवेश में राज्यों के सम्मेलन के लिये दिये गये निमंत्रण की उस सुविचारित नीति को दिया जाना चाहिये, जिसकी कि घोषणा सरदार वल्लभभाई पटेल द्वारा, जो आज राज्य विभाग की अध्यक्षता कर रहे हैं, की गयी थी। किन्तु मुझे कहना चाहिये कि भारी संख्या में देशी राज्यों के वास्तविक सम्मेलन का सबसे अधिक श्रेय उस राजनीतिज्ञता तथा प्रतिभा को जाना चाहिये जिसे कि उन्होंने स्वयं खुली राजनीतिक चातुरी कहा है जिसके द्वारा लार्ड माउंटबैटन उन सब राज्यों को सम्मिलित करा सके हैं। मैं

सोच-समझ कर ही ऐसा कह रहा हूं, क्योंकि मेरा ख्याल है कि जिस शक्ति एवं योग्यता से उन्होंने इस मामले में काम किया है, उसके बिना शायद हम उस नतीजे पर न पहुंच सकते जिसे देखकर आज हम इतना प्रसन्न हैं।

हां, तो श्रीमान्, मैं इन बातों का जिक्र यह बताने के लिए कर रहा था कि राज्यों के इस सम्मेलन के विषय में लोगों की कुछ अस्पष्ट धारणायें भी हैं। कहा जाता है कि राज्य तो केवल तीन विषयों के लिये सम्मिलित हुये हैं। यह ठीक है कि बहुत स्थूल रूप में उल्लिखित विषय तीन ही हैं, किन्तु वस्तुतः जिस सम्मेलन-पत्र पर उन्होंने हस्ताक्षर किये हैं, उसमें इन तीनों में से हरेक के अंतर्गत मदों का सविस्तार उल्लेख किया गया है और आपको मालूम होना चाहिये कि वास्तव में ये मदें 18 या 20 के लगभग हैं। और यदि हम उन्हें उस रूप में रखें, जिस रूप में कि वे संघीय-अधिकार-समिति की रिपोर्ट के साथ की सूची में दी गयी हैं, तो शायद यह संख्या और बढ़ जायेगी। इस विशेष बात का जिक्र करने का मेरा कारण यह है कि राज्यों के जो प्रतिनिधि इस सभा में शामिल हैं, वे यहां सम्पन्न किये जाने वाले कार्य में बहुत ही दिलचस्पी रखते हैं, चाहे वह कार्य विधान-निर्माण के रूप में हो या व्यवस्था-निर्माण के रूप में या केन्द्रीय शासन-व्यवस्था के नियंत्रण के रूप में। इस मामले में उनकी अनिवार्य रूप में दिलचस्पी है और मैं चाहूंगा कि वे महसूस करें कि उनमें और इस सभा में शामिल भारत के अन्य प्रतिनिधियों में किसी भी प्रकार का भेद नहीं है। श्रीमान्, यह कह चुकने के बाद, अब मुझे अंत में स्वयं इन तीनों सूचियों का जिक्र करना है। पहला प्रश्न, जिस पर कि यहां उपस्थित माननीय सदस्यों में से बहुतों को खूब विचार करना होगा, यह होगा कि इन सबके बाद आया शेष अधिकारों की अवस्थिति के संबंध में इस प्रकार का भेद जारी रहना चाहिये। यह भेद मिटाने के दो तरीके हैं। एक तरीका शायद यह है कि इस ख्याल से कि हमने तीनों सूचियों में विषयों का पूर्ण उल्लेख कर दिया है, हम मंत्रि-मिशन-योजना पर वापस जायें, और प्रान्तों के संबंध में भी शेष अधिकारों को उन्हीं प्रांतों में अवस्थित रखें। दूसरी बात ऐसी है जिस पर राज्यों को विचार करना होगा। देशी राज्यों की शासन-व्यवस्था से संबंधित अति विख्यात राजनीतिज्ञ बहुत अरसे से कहते आये हैं कि वे एक शक्तिशाली केन्द्र चाहते हैं, और केन्द्र के शक्तिशाली बनाये जाने पर विधान-परिषद् में उनके सम्मिलित होने तथा उसके कार्य में भाग लेने के संबंध का उनका संकोच लुप्त हो जायेगा। यदि उनके सहयोगी और देशी राज्यों की जनता के प्रतिनिधि भी इससे सहमत हों, तो इस कमेटी की रिपोर्ट में संशोधन करने तथा शेष अधिकारों को स्वयं केन्द्र में ही अवस्थित रहने के लिये राजी होने के

[माननीय श्री एन. गोपालस्वामी]

दूसरे तरीके पर विचार करना उन्हीं का काम होगा। श्रीमान्, यह एक ऐसी बात है जिस पर कि इस सभा को बहुत गंभीरता के साथ विचार करना होगा। किन्तु मुझे इस बात पर भी जोर दे देना चाहिये कि कमेटी की रिपोर्ट शेष अधिकार को राज्यों के संबंध में राज्यों में, ओर प्रांत के संबंध में केन्द्र में स्थिर करने के पक्ष में हैं। श्रीमान्, मैं सभा का और अधिक समय नहीं लेना चाहता। मैं प्रस्ताव रखता हूं।

मौलाना हसरत मोहानी: जनाबे सदर, इससे कब्ल जो एक गलती सरदार पटेल साहब ने की थी, मैं समझता हूं कि इससे ज्यादा और इससे बड़ी गलती इस वक्त मेरे दोस्त श्री एन॰ गोपालस्वामी, जो बहुत बड़े कानूनदां हैं, ने की है। लेकिन मैं यह अर्ज करूंगा कि आप गौर कीजिये कि आप क्या तर्जेअमल इख्तियार कर रहे हैं। मैंने उस वक्त सरदार पटेल से अर्ज किया था कि अभी आपने मरकजी उसूल तय नहीं किया और यह भी तय नहीं किया कि यूनियन का कान्स्टीट्यूशन किस किस्म का होगा। क्या वह यूनियन डोमिनियन का है या रिपब्लिक का। अगर आप लोग रिपब्लिक के हक में होंगे, तो आया वह सोशलिस्ट रिपब्लिक होगी या नेशनलिस्ट। गर्ज, आपने यह नहीं तय किया कि इसकी हैसियत क्या होगी। सिर्फ आखिर से आपने यह चीज निकाल ली कि सारे अख्त्यारात मरकज को होंगे और मरकज सारे मरकजी अख्त्यारात खुद ले लेगा। मैं अर्ज करता हूं कि इससे बड़ी कोई और गलती नहीं हो सकती। इसके माने ये होंगे कि हम लोग (मेम्बरान) जो यहां पर आये हुये हैं, आप इन सबको बेवकूफ समझते हैं। लिहाजा जब मैंने बहुत सोच-समझकर और आप पर यह ऐतराज किया था कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसका जवाब देते हुये कहा था कि हमारा आब्जेक्टिव रेजोल्यूशन मौजूद है। उसमें रिपब्लिक का लफ्ज मौजूद है। मैंने उस वक्त कुछ नहीं कहा, लेकिन इस वक्त यह कहता हूं कि आप किस ख्वाबे खरगोश में मुब्तिला हैं। पंडित जवाहरलाल को मालूम होना चाहिये कि हमारे ब्रिटिश इम्पीरियलिस्ट दोस्त जो हैं उन्होंने आपको पहले से ही पाबंद कर लिया है और अब वे आपको डोमिनियन में रखेंगे। चुनाचे इन्होंने इसके लिये एक नई चीज क्रियेट की और इस चीज के क्रियेट करने वालों ने फ्रांस, हालैंड, इंग्लैंड, अमरीका और पांचवें सवारों में दाखिल होने वाले चांगकाई शेख भी हैं, जिनसे बदतर इन्सान इस वक्त दुनिया में शायद बहुत कम होंगे, शामिल हैं। और वह चीज यह है:

*[उन्होंने एक प्रकार के जनतंत्रात्मक उपनिवेश (रिपब्लिकन डोमिनियन) का आविष्कार किया है। यह जनतंत्रात्मक उपनिवेश वे इंडोनेशिया पर ठूंस रहे हैं।

इंडोनेशिया पर यह जनतंत्रात्मक उपनिवेश हालैंड लाद रहा है। और हिंदचीन, वियेटनाम पर यह जनतंत्रात्मक उपनिवेश फ्रांस ठूंस रहा है। आप बेवकूफ बनाये गये हैं। इसी प्रकार का जनतंत्रात्मक भारतीय उपनिवेश वे आप पर लाद रहे हैं और मुझे निश्चय है कि आप इससे बच न सकेंगे। आपको सदा के लिये एक उपनिवेश बना रहना होगा।]

मैंने जो कुछ भी यह कहा है वह ब्रिटिश इम्पीरियलिस्ट लोगों के लिये कहा है।

*[शब्द-जाल रचने और धोखे का व्यवहार करने की कला में वे उस्ताद हैं। वे कहते एक बात हैं और उनका मतलब बिल्कुल दूसरी बात से होता है।]

हमारे गवर्नर-जनरल लार्ड माउंटबैटन ने यह किया कि तमाम इंडियन स्टेट्स को मजबूर करके इंडियन यूनियन में शामिल कर लिया। देखने में तो यह बहुत ही अच्छा मालूम होता है कि तमाम स्टेट्स को हमने काबू में कर लिया—मगर मैं कहता हूं कि जरा गौर कीजिये कि आपने इंडियन स्टेट्स को काबू में नहीं किया बल्कि आप उनके कब्जे में खुद चले गये और वह इस तरह कि अभी आप यूनियन का कांस्टीट्यूशन बनायेंगे तो इसमें क्या होगा। आप कहेंगे कि अभी तो यह इंडियन डोमिनियन गवर्नमेंट है, इसमें कोई शुबा नहीं कि आपको यह हक मिला है कि आप डोमिनियनं कान्स्टीट्यूशन को बदल सकते हैं। लेकिन इसके साथ ही साथ आपको इसका भी ख्याल चाहिये कि इस कान्स्टीट्यूशन को बदलने के लिये आपको किस बात की जरूरत होगी। कान्स्टीट्यूशन बदलने के मामले में तीन चौथाई मेम्बर जब तक किसी तजवीज की मुखालफत न करें वह तजवीज चल नहीं सकती और वो स्टेट्स जो हमेशा के लिये डोमिनियन में रहेंगी और जिनको आपने कांस्टीट्यूशन में शामिल कर लिया है, उनकी तादाद करीब-करीब एक तिहाई होगी। मैं कहता हूं कि स्टेट्स के नुमाइंदे जो कांस्टीट्यूशन में शरीक होंगे, क्या वे भी इंडियन डोमिनियन को रिपब्लिक और सोशलिस्ट रिपब्लिक में तब्दील करना मंजूर कर लेंगे? इसके माने यह होंगे कि अपने आपको आप खुद धोखा दे रहे हैं।

*[यदि आप यह ख्याल करें कि आप इस दुष्ट औपनिवेशिक स्वराज्य (डोमिनियन स्टेट्स) से बाहर निकल सकते हैं, तो आप अपनी आत्मा को धोखा दे रहे हैं। आपके सदस्यों में से एक तिहाई राज्यों के हैं और आपका प्रस्ताव है कि विधान में परिवर्तन करने के लिये आपको विधान-परिषद् के तीन-चौथाई

[मौलाना हसरत मोहानी]

सदस्यों के बहुमत की आवश्यकता होगी। क्या आप नहीं समझते कि इस प्रकार से विधान में परिवर्तन करना, आपके लिये असम्भव हो जायेगा। ब्रिटिश साम्राज्य में एक उपनिवेश (डोमिनियन) के रूप में ब्रिटिश राष्ट्रमंडल (ब्रिटिश कामनवेल्थ) में रहने की आपने स्वयं निंदा की है। इसीलिये मैं कहता हूं कि आप बेवकूफ बनाये गये हैं। मैं नहीं जानता कि किस प्रकार मेरे ये मित्र कांग्रेस उच्चाधिकारी (हाई-कमाण्ड), जो मेरे मित्र व सहकारी हैं...]

इसके अलावा पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि हमने आब्जेक्टिव रिजोल्यूशन पेश कर दिया है। अब किसी को कुछ कहने का हक हासिल नहीं है। मैं कहता हूं कि जिसको वे रिपब्लिक कहते हैं वह रिपब्लिक नहीं है। वह वही लानती चीज है जिसको ब्रिटिश इम्पीरियलिस्ट या दूसरे नामों से याद करते हैं। ब्रिटिश ने यही चीज इंडोनेशिया में भी पैदा कर रखी है जो किसी से पोशीदा नहीं है। लिहाजा इस हिमाकत में, जिसमें आज इंडोनेशिया मुब्तिला है, उसमें आप भी न फंसिये।

***श्री एम॰एस॰ अणे** (दक्षिणी रियासतें): श्रीमान्, व्यवस्था-संबंधी एक बात कहना चाहता हूं; क्या एक सदस्य दो भाषाओं में भाषण कर सकता है?

***अध्यक्ष:** मेरा ख्याल है कि अन्य सदस्यों की सुविधा के लिये, वे अपनी बात अंशत: अंग्रेजी भाषा में समझा रहे हैं।

मौलाना हसरत मोहानी: इस सिलसिले में यह भी कह देना जरूरी है कि जो इंण्डिपेण्डेन्स आपको मिली है उसका नाम पहले डोमिनियन स्टेट्स था जिसको बाद में इन्होंने खुल्लमखुल्ला सोच समझकर इण्डिपेण्डेन्स कर दिया। इससे हरगिज इनका मतलब इण्डिपेण्डेन्स नहीं हो सकता। हमसे ज्यादा बेवकूफ कौन होगा कि यह जानते हुये भी कि हमको धोखा दिया जा रहा है, हमने इण्डिपेण्डेन्स भी मना ली और चिरागां भी कर लिया। चूंकि जमहूर से मुखालिफत करने की मेरी आदत नहीं है, इसलिये मैंने इस वक्त कुछ नहीं कहा। लेकिन अब कहता हूं दरहकीकत हरगिज हमको इण्डिपेण्डेन्स नहीं मिली है। मेरे दोस्तों में बहुत बड़े-बड़े कानूनदां और समझदार लोग मौजूद हैं मगर मेरी समझ में नहीं आता कि उनकी आंखों पर कैसे परदे पड़े हुये हैं और वे किस ख्वाबे खरगोश में मुब्तिला हैं।

*[मैं कह रहा था कि कांग्रेस हाई-कमाण्ड के सदस्य मेरे मित्र हैं और मेरे सहकारी रहे हैं। यहां इस विधान-परिषद् में मुस्लिम लीग के द्वारा मैं साधारणत:

अपने पुराने मित्रों के साथ सहयोग करने के अभिप्राय से आया था। किन्तु अब मैं देखता हूं कि वे मेरा सहयोग नहीं चाहते और वे उसे (मेरे सहयोग को) ठुकरा रहे हैं। उनका कट्टर विरोध करने के सिवा मेरे लिये और रास्ता नहीं रह गया है और जो कारण मैं अभी-अभी बता चुका हूं उसके आधार पर मैं उनका विरोध करता हूं; वह यह है कि वे इन ब्रिटिश साम्राज्यवादियों द्वारा बेवकूफ बनाये गये हैं।

इस बात का दूसरा सबूत कि आप बेवकूफ बनाये गये हैं, यह है कि भारतीय स्वतंत्रता के श्री चर्चिल जैसे शत्रु ने भी, अपना तरीका छोड़कर, इस चीज के पास किये जाने के लिये मजदूर सरकार को बधाई दी है। उन्होंने कहा है, ''इसकी मैं चिन्ता नहीं करता कि ऐसा थोड़े ही समय के लिये है। मेरे लिये इतना बहुत काफी है कि उन्होंने अभी इस समय उपनिवेश (डोमिनियन) में रहना स्वीकार कर लिया है।'' आप यह जानते ही हैं कि श्री चर्चिल काफी चालाक हैं। मुझे इस बात का बहुत दुख और आश्चर्य भी है कि श्री राजगोपालाचार्य, डाक्टर राधाकृष्णन तथा डाक्टर अम्बेडकर जैसे इतनी तीक्ष्ण बुद्धि वाले मेरे मित्र भी इस चाल और धोखेबाजी को नहीं समझ पाये।

आपने कहा है कि इन देशी राज्यों को शामिल करने के लिए आप राजी हो गये हैं और आपने अपने सदस्यों में से एक-तिहाई राज्यों से लिए हैं। आप यह भी व्यवस्था करने जा रहे हैं कि आपके विधान में परिवर्तन करने के लिए, उपनिवेश-पद से उसे एक समाजवादी जनतंत्र (सोशलिस्ट रिपब्लिक) में परिवर्तित करने के लिए आपको तीन-चौथाई सदस्यों के बहुमत की आवश्यकता पड़ेगी। स्पष्टत: यह असम्भव है। जब तक कि राज्यों के ये प्रतिनिधि आपकी असेम्बली (परिषद्) के, आपकी पार्लियामेंट (व्यवस्थापिका सभा) के अंग हैं, तब तक आप इस बेहूदी चीज डोमिनियन और कामनवेल्थ, से बाहर नहीं निकल सकते।]

मैं यह अर्ज करूंगा कि आखिर आपको क्या हो गया है? मैं समझता हूं कि जब तक पाकिस्तान अलहदा नहीं हुआ था, उस वक्त तक आप यह समझ सकते थे कि जब तक सेंटर स्ट्रोंग नहीं होगा, उस वक्त तक मुस्लिम अकसरियत के सूबों से गड़बड़ का अंदेशा रहेगा, लेकिन अब पाकिस्तान अलहदा हो गया है।

***श्री मोहम्मद शरीफ** (मैसूर): क्या मैं आपसे प्रार्थना कर सकता हूं कि इन महाशय से अनुरोध करें कि वे अपनी बात कहें।

मौलाना हसरत मोहानी: *[जी हां, मैं यह बता रहा हूं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू की पिछली यूनियन-विधान योजना पर मुझे क्या आपत्तियां करनी पड़ी थीं; वही आपत्ति इस योजना पर भी लागू होती है, क्योंकि दोनों एक समान हैं।]

मैं कहता हूं कि नैचुरल चीज यह है कि बजाय इसके कि हम पावर्स सब सेंटर को दे दें और वह जो चाहे प्राविंसिस को ट्रांसफर करे, अच्छा यह हो कि हम प्राविंसिस को पावर्स दे दें। फिर वह चाहे तो कुल मरकजी, अख्त्यारात सेंटर को दे दें। या सिर्फ तीन महकमे यानी डिफेंस, फौरन अफेयर्स, एंड कौम्यूनिकेशन्स।

*[मैं किसी साम्राज्य, राजाओं या डोमिनियनों (उपनिवेशों) या कामनवेल्थ (राष्ट्रमंडल) में विश्वास नहीं करता। इन्हें हम काफी देख चुके। अब हम उनमें से कोई भी नहीं चाहते; न सम्राट, न डिक्टेटर, न कामनवेल्थ, न डोमिनियन। हम केवल अपनी समाजवादी जनतंत्रों की यूनियन (यूनियन आफ सोशलिस्ट रिपब्लिक्स) रखेंगे; इससे कम कोई भी चीज नहीं। इसलिए अपने मित्र श्री गोपालस्वामी आयंगर से मेरा अनुरोध है कि यह कहकर वे अपने को बेवकूफ न बनायें कि हम एक शक्तिशाली केन्द्र चाहते हैं। मैं ऐसे केन्द्र को नहीं मानता। एकमात्र केन्द्र जिसे मैं स्वीकार करूंगा, हमारी 'यूनियन आफ सोशलिस्ट रिपब्लिक' (समाजवादी जनतंत्र संघ) का होगा।]

यह मेरा आमतौर पर एतराज है लेकिन जबसे आपने रियासतों को अपने में शामिल कर लिया है, मेरा एतराज पहले से दस गुना ज्यादा हो गया है। आपने हमारे सूबों को क्या अख्त्यारात दिये हैं। मेरे ख्याल में सूबों को आपने पहले से भी और घटाकर अख्त्यारात दिये हैं। इतने अख्त्यारात तो इंडीपेंडेंस मिलने से पहले भी सूबों को हासिल थे। आपने इससे एक नुक्ता भी बढ़ाकर नहीं दिया है। बल्कि बहुत कम कर दिया है। खैर यह तो आपकी मरजी है क्योंकि आपकी मजोरिटी है। यहां पर जितने भी मेम्बरान हैं उनको नैचुरल तरीके पर कांग्रेस ने अपने पाबंद कर दिया है। दरअसल यहां पर कांग्रेस पार्टी और लीग पार्टी का कोई दखल न होना चाहिये क्योंकि आपने कोम्यूनलिज्म को दूर कर दिया है। इंसाफ का तकाजा यह है कि जितने मेम्बरान हैं उन सबसे कह दिया जाये कि यहां पर अब पोलिटिकल पार्टियों की हैसियत से रह सकेंगे न कि हिंदू और मुस्लिम या कांग्रेस और मुस्लिम लीग की हैसियत से।

*[आपको एक शक्तिशाली केन्द्र रखने की, जिससे कि सारे अधिकार केन्द्र में ही स्थिर किये जायें, क्या आवश्यकता है? इसका क्या कारण है? और इससे आपका क्या उद्देश्य है?]

जनाबे वाला, आप यह देखें कि मैंने इसलिए यह अर्ज किया कि आपने सूबों को कुछ अख्त्यारात नहीं दिये हैं। मैंने इस तरफ इसीलिए इशारा किया कि शायद आप लोगों ने हमको बिल्कुल बेवकूफ समझ लिया है।

***मि. तजम्मुल हुसैनः** मैं जानना चाहूंगा कि मौलाना एक मजबूत (शक्तिशाली) केन्द्र चाहते हैं या कमजोर केन्द्र चाहते हैं।

***अध्यक्षः** मौलाना साहब, आप जिस चीज को पेश करना चाहते हैं आप उसके मुताल्लिक जो कुछ चाहें कहें, यानी उस रेज्यूल्यूशन पर गौर इस वक्त किया जाये या नहीं।

मौलाना हसरत मोहानीः मैं कहता हूं कि आपको उस वक्त यह शुबाह हो सकता था जब तक पाकिस्तान अलहदा नहीं हुआ था।

***अध्यक्षः** शांति, शांति! मौलाना, वास्तव में आप विषय क्षेत्र से बाहर जा रहे हैं। आपने यह प्रस्ताव रखा है कि रिपोर्ट पर विचार करना स्थगित रखा जाये। फिर आप खुद रिपोर्ट के गुण-दोष का जिक्र कर रहे हैं। इसके अलावा, आपने बहुत सी अन्य बातों का भी जिक्र किया है, जिनका कि आपके प्रस्ताव से कोई संबंध नहीं है।

मौलाना हसरत मोहानीः मैं यह अर्ज करूंगा कि आपने स्टेट्स को यह लालच देकर अपने में शामिल कर लिया है जैसा कि आप पहले भी करते चले आये हैं कि आपको सिवाय डिफेंस, फौरन एफियर्स और कौम्यूनिकेशन के बाकी और सब मरकजी पावर्स भी हासिल रहेंगे। मैं इस चीज पर सख्त एतराज करता हूं।

*[वे (श्री गोपालस्वामी आयंगर) समझते हैं कि वे ही एक चतुर वकील हैं और बाकी सब लोग बेवकूफ हैं।]

***अध्यक्षः** शांति, शांति! मौलाना, मैं समझता हूं कि अच्छा होगा, यदि आप अपने को स्वयं अपने प्रस्ताव तक ही सीमित रखें।

मौलाना हसरत मोहानीः अगर उनको यह मरकजी हक हासिल है तो कम से कम इससे ज्यादा या इसके बराबर अख्त्यारात आप सूबों को भी दें वरना आपकी यह तजवीज बिल्कुल फ्रौड होगी और इसीलिए मैं कहता हूं कि जब तक आप इस चीज को साफ न कर दें, मेरे ख्याल में यह तजवीज बिल्कुल खुराफात है। इस पर हरगिज गौर न किया जाये।

***अध्यक्ष:** सभा के सामने इस समय जो प्रस्ताव उपस्थित है, उसका आशय यह है कि श्री गोपालस्वामी आयंगर ने जो रिपोर्ट पेश की है, उसका विचार एक निश्चित समय के लिए जोकि उसमें उल्लिखित है स्थगित रखा जाये। सदस्यों को अब इस विषय में अपने विचार प्रकट करने की स्वतंत्रता है। सदस्यों से मेरा अनुरोध है कि इस अवस्था में वे रिपोर्ट के गुण-दोषों के संबंध में अपने विचार प्रकट न करें, क्योंकि प्रस्ताव केवल रिपोर्ट का विचार स्थगित करने का ही है।

***श्री बालकृष्ण शर्मा:** श्रीमान्, स्वयं अपनी जानकारी के लिये मैं मालूम करना चाहता हूं कि क्या किसी सदस्य के लिये यह संभव है कि रिपोर्ट की मुख्य बातों का जिक्र किये बिना वह प्रस्ताव के पक्ष या विपक्ष में बोल सके और कह सके कि चूंकि हमने यूनियन का विधान पूरा नहीं किया है, इसलिए इस पर विचार न करना चाहिए। यही मेरी कठिनाई है।

***अध्यक्ष:** मैं समझता हूं सदस्यों के लिए यह संभव है कि सभा के सामने जो प्रस्ताव है, उस तक ही वे अपने को सीमित रखें। यदि अपने पक्ष के समर्थन में वे रिपोर्ट की किन्हीं संबंधित बातों का जिक्र करना चाहें, तो मुझे इसमें कोई आपत्ति न होगी, किन्तु इस अवस्था में मैं रिपोर्ट के गुण-दोषों का विचार किया जाना पसंद न करूंगा।

***दीवान चमन लाल** (पूर्वी पंजाब: जनरल): श्रीमान्, व्यवस्था संबंधी एक बात है। हमारे सामने जो प्रस्ताव है, वह श्री गोपालस्वामी आयंगर का है कि रिपोर्ट पर विचार किया जाये; और मौलाना हसरत मोहानी ने इसके संशोधन में एक प्रस्ताव पेश किया है। अब हमें संशोधन की शब्दावली तक अपने को सीमित रखना है अथवा हम श्री गोपालस्वामी आयंगर के मूल प्रस्ताव पर विचार करने जा रहे हैं।

***अध्यक्ष:** अभी मैं केवल संशोधन को ही विचारार्थ ले रहा हूं, जब संशोधन पर विचार कर लिया जायेगा, तब हम मूल प्रस्ताव को ले सकते हैं। यदि हम रिपोर्ट के गुण-दोष पर अभी विचार करते हैं, तो इससे हमारी बहस में विश्रृंखलता आ सकती है। इसीलिए मैं पहले सारा ध्यान विचार स्थगित करने के संशोधन की ओर देना चाहता हूं।

***श्री महावीर त्यागी:** श्रीमान्, व्यवस्था संबंधी एक बात!

***अध्यक्षः** किस विषय की व्यवस्था-संबंधी बात?

***श्री महावीर त्यागीः** मौलाना हसरत मोहानी द्वारा रखे गये संशोधन के विषय की।

***अध्यक्षः** उस विषय में मैं पहले ही व्यवस्था दे चुका हूं, विचाराधीन प्रश्न स्थगित प्रस्ताव का है।

***श्री महावीर त्यागीः** किंतु श्रीमान्, मैं इस प्रश्न पर आपकी व्यवस्था चाहता हूं कि मेरा विश्वास है कि यह संशोधन स्वयं ही व्यवस्था विरुद्ध है।

***अध्यक्षः** किस प्रकार?

***श्री महावीर त्यागीः** यह सभा के समक्ष उपस्थित मूल प्रश्न का नकार मात्र है। इसलिए मैं अर्ज करता हूं कि यह संशोधन व्यवस्था के विरुद्ध है।

***अध्यक्षः** मैं नहीं समझता कि यह व्यवस्था के विरुद्ध है, क्योंकि यह मूल प्रस्ताव का विचार स्थगित रखने के लिए एक प्रस्ताव है।

***श्री हिम्मतसिंह के॰ महेश्वरी** (सिक्किम व कूच बिहार ग्रुप): श्रीमान्, मैं संशोधन का समर्थन करता हूं, यद्यपि मेरे ऐसा करने के कारण आदरणीय मौलाना हसरत मोहानी द्वारा बताये गये कारणों से कुछ भिन्न हैं। किंतु अपने विचार प्रकट करने से पहले मैं सभा को फारसी का एक शेर सुनाना चाहता हूं, जिसकी याद मुझे जनाब मौलाना साहब का भाषण सुनकर आ गयी है। शेर इस प्रकार है:

जबाने यार मन तुर्की व मन तुर्की नमीदानम्

''चे खुश बूदे अगर बूदे जवानश्दर दहाने मन।''

श्रीमान्, आपकी अनुमति से मैं इस शेर का तर्जुमा कर देना चाहता हूं, जो इस प्रकार है:

''मेरी प्रियतमा तुर्की बोलती है। (इस जगह, अंग्रेजी मिली हुई हिंदुस्तानी, न कि उर्दू मिली हुई हिंदी) अच्छी बात होती, यदि उसकी जबान मेरे मुंह में होती।''

जो सुंदर तुर्की वह बोलती थी, मैं नहीं बोल सकता–इसीका मैं अपराधी हूं।

[श्री हिम्मतसिंह के. महेश्वरी]

अब मैं मुख्य विषय, जुलाई 1947 की रिपोर्ट को जो सभा के सामने उपस्थित है, लेता हूं। मेरे मत से यह रिपोर्ट पहले ही पुरानी पड़ चुकी है, जिसके दो कारण हैं। पहला कारण यह है कि भारतीय स्वाधीनता कानून यह रिपोर्ट तैयार हो जाने के बाद पास किया गया है; और दूसरा कारण यह है कि जुलाई के आखीर के समय भारत सरकार तथा राज्यों द्वारा ऐसे निश्चय किये गये, जिनके फलस्वरूप बहुतेरे राज्य (भारतीय उपनिवेश में) सम्मिलित हो गये और सम्मेलन-पत्रों तथा स्थिरावस्था समझौतों पर उनके हस्ताक्षर हुए। इस प्रकार श्रीमान्, सभा के समक्ष उपस्थित रिपोर्ट में वे सारे परिवर्तन नहीं आ सके हैं जो उसके पहली बार लिखे जाने के समय से अब तक हुए हैं। संघीय व्यवस्थापिका सूची के अंदर आने वाले विषयों तक के संबंध में प्रांतों तथा राज्यों के बीच स्पष्ट अंतर रखना पड़ा है। जैसा कि मैं समझता हूं, भारतीय यूनियन में राज्य केवल तीन विषयों के संबंध में ही सम्मिलित हुए हैं, जब कि प्रांत न केवल कानून बनाने और नीति निर्धारित करने के काम के लिए बल्कि शासन-व्यवस्था के लिए भी केंद्र को अन्य अनेक विषय सुपुर्द करने को राजी हैं। जिन तीन विषयों के संबंध में देशी राज्य इस समय उपनिवेश में सम्मिलित हुए हैं अथवा भविष्य में संघ-शासन में सम्मिलित होने को हैं, उनके संबंध में केन्द्र को एक निश्चित रकम खर्च करनी ही होगी। इसके अतिरिक्त केवल प्रांतों के फायदे के लिए, केन्द्र को अन्य विषयों के संबंध में अलग खर्च उठाना पड़ेगा। इसलिए श्रीमान्, केन्द्र को अपना खर्च चला सकने के लिए कर-व्यवस्था की जिन मदों की जरूरत होनी चाहिए, उनका निश्चय अभी करना समय से कुछ पहले की बात है। स्पष्ट है कि राज्यों से उन विषयों के खर्च के संबंध में कुछ भी नहीं लिया जाने को है, जिनसे कि उन्हें कोई लाभ न हो।

***श्री जसपतराय कपूर** (संयुक्त प्रांतः जनरल): श्रीमान्, मैं समझता हूं कि वक्ता महोदय यूनियन-पावर्स-कमेटी के एक सदस्य हैं; और ऐसी दशा में उस कमेटी की रिपोर्ट का विचार किया जाने पर जिसके कि वे स्वयं एक मेम्बर हैं, क्या वे आपत्ति कर सकते हैं?

***श्री हिम्मतसिंह के॰ महेश्वरीः** मैं उस कमेटी का मेम्बर नहीं था।

***श्री जसपतराय कपूरः** मुझे खेद है।

श्री हिम्मतसिंह के॰ महेश्वरीः श्रीमान्, मजबूत केन्द्र स्थापित करने की इस सभा की इच्छा एक बहुत ही उचित आकांक्षा है; किंतु मुझे भय है कि कभी-कभी

यह भुला दिया जाता है कि एक मजबूत केन्द्र का अर्थ अनिवार्यतः एक कमजोर प्रांत या एक कमजोर राज्य से नहीं है। किसी भी हालत में, राज्यों ने भूतकाल में प्रांतों से कहीं अधिक स्व-शासन का उपभोग किया है, और मुझे भय है कि चाहे हम ऐसा पसंद करें या न पसंद करें, यह भेद तो कायम रखना ही होगा। जो दूसरी रिपोर्ट हमारे सामने है, उसके तीसरे पैरे में कहा गया है कि जहां तक संघीय-विषय सूची 16 मई के वक्तव्य से बाहर चली गई है, राज्यों पर आम तौर से उसके लागू होने.....।

***श्री एन० गोपालस्वामी आयंगरः** क्या मैं व्यवस्था संबंधी एक बात कहने के लिए उठ सकता हूं? मेरा ख्याल है, श्रीमान्, कि आपने निर्णय किया था कि मौजूदा बहस स्थगन-प्रस्ताव तक ही सीमित रहनी चाहिये।

***श्री हिम्मतसिंह के० महेश्वरीः** मैं केवल एक बहुत ही छोटी सी बात की ओर सभा का ध्यान आकृष्ट कर रहा हूं। जहां तक कि संघीय-विषयों की सूची 16 मई के वक्तव्य से बाहर चली गई है, वहां तक राज्यों पर आमतौर से वह उनकी राजी से लागू की जानी चाहिये। इसका मतलब यह निकलता है कि उनके संबंध में शेष अधिकार उनमें ही स्थिर रहेंगे, जब तक कि उन्हें केन्द्र में स्थिर करने के लिए वे सहमत न हों। हमारे सामने की संघीय व्यवस्थापिका सूची (परिशिष्ट की सूची 1) में अनेक ऐसी मदें शामिल हैं, जो पूर्णतया उन तीन विषयों के अंतर्गत नहीं हैं जिनके कि संबंध में राज्य सम्मिलित होने का विचार करते हैं। ऐसी दशा में श्रीमान्, अधिक तर्क-संगत रास्ता तो 'संघीय व्यवस्थापिका सूची' को दो सूचियों में तोड़ देने का होगा।

***श्री एन० गोपालस्वामी आयंगरः** श्रीमान्, क्या हम रिपोर्ट के गुण-दोष का विचार कर रहे हैं?

***श्री हिम्मतसिंह के० महेश्वरीः** मैं केवल वे बातें बता रहा हूं, जिनसे कि रिपोर्ट का विचार स्थगित किया जाना न्यायोचित समझा जाये।

***श्री ए०पी० पट्टानी** (भावनगरः पश्चिमी भारत के राज्य): जब तक पहले इन अधिकारों का निश्चय नहीं कर लिया जाता, विधान तैयार नहीं किया जा सकता। प्रस्ताव द्वारा अनुरोध किया गया है कि विधान तैयार हो जाने के बाद इन अधिकारों पर विचार किया जाये। मेरी अर्ज है कि जब तक कि इन अधिकारों का निश्चय नहीं कर लिया जाता, विधान तैयार नहीं किया जा सकता।

***श्री हिम्मतसिंह के० महेश्वरी:** चूंकि संघीय व्यवस्थापिका सूची में, दो भागों के अंतर्गत काफी संशोधन व रूपान्तर होने को है, जिनमें से एक भाग यूनियन के लिए और दूसरा केवल प्रांतों के लिए लागू होगा, इस कारण इस सभा के लिए उक्त रिपोर्ट का विचार स्थगित रखना उचित ही है।

श्रीमान्, साथ ही मैं यह सुझाव रखने का भी साहस कर रहा हूं, कि इसलिए ताकि इस रिपोर्ट पर, गत चार सप्ताहों में हुए महत्वपूर्ण परिवर्तनों के प्रसंग में नये सिरे से विचार किया जा सके, आप (सभापति) द्वारा एक और बड़ी कमेटी, जिसमें कि राज्यों के प्रतिनिधि अधिक संख्या में रहें, नियुक्त की जानी चाहिये, ताकि वह इस रिपोर्ट की फिर से जांच करे तथा यथासंभव कम से कम समय के भीतर अपनी और रिपोर्ट दाखिल कर दे।

इस समय इस रिपोर्ट पर विचार करने में हमें एक और भी कठिनाई है। यहां अप्रैल 1947 की मूल रिपोर्ट और जुलाई 1947 की दूसरी रिपोर्ट, दोनों ही मौजूद हैं। अप्रैल वाली रिपोर्ट के कुछ अंश सही जचेंगे और कुछ अंश नहीं। किसी भी रिपोर्ट में से ठीक वे ही वाक्य चुनने में जो सही हों, सदस्यों को बड़ी कठिनाई होगी। अप्रैल व जुलाई की रिपोर्टों की इस सूची में दी हुई मदों का मिलान 1935 के भारत-शासन-विधान की 'संघीय व्यवस्थापिका सूची' में दी हुई मदों से करने में, मुझे पूरे 6 घंटे लग गये। इसलिये, श्रीमान्, मेरा ख्याल है कि इस अवस्था में रिपोर्ट पर विचार करने में सभा को भारी अड़चन पड़ेगी।

इन कुछ शब्दों के साथ मैं आशा करता हूं कि इस महत्वपूर्ण कार्य में जल्दबाजी करने के बजाय, यह सभा उसके लिये अधिक समय देने तथा उस पर और विचार करने के प्रति सहमत होगी, ताकि जो भी कार्य हम सम्पन्न करें, वह प्रान्तों तथा राज्यों के लिये स्थायी लाभ का सिद्ध हो।

श्री गोपीकृष्ण विजयवर्गीय (ग्वालियर): श्रीमान् अध्यक्ष महोदय, आज जो देश की स्थिति है उसमें हम मामलों को इसी तरीके से छोड़ते नहीं जा सकते। जो हसरत मोहानी साहब का अमेण्डमेण्ट आया है कि हम इसको स्थगित करें (मुल्तवी करें), यह मुनासिब नहीं है। मैं समझता हूं और ऐसा अनुभव कर रहा हूं कि दिनों दिन हालत ऐसे हो रहे हैं कि कान्स्टीट्यूशन मेकिंग का काम जल्द से जल्द खत्म करना चाहिये और एडमिनिस्ट्रेशन के और हिन्दुस्तान के जो प्लानिंग के काम हैं, वह सामने आने चाहियें। क्योंकि जनता के सवालात सामने हैं। जो दलीलें हसरत

साहब ने पेश की थीं वह तो बेबुनियाद हैं। और एक बड़े ताज्जुब की बात यह है कि एक तरफ तो उन्होंने कहा कि हमको सोशलिस्ट रिपब्लिक चाहिये, इसलिये मुल्तवी करना चाहिये और दूसरी तरफ एक रियासत के प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी इसको स्थगित करने की वही दलील दी है। तो यह दरअसल सोशलिज्म लाने का तरीका नहीं है। सोशलिस्ट पार्टी इस कान्स्टीट्यूशन के अन्दर भी काम कर सकती है। हम संयुक्त और बड़ा देश बनाना चाहते हैं। यह कोई दलील नहीं है कि केन्द्र को कोई ताकतें न दी जायें और सारी ताकतें प्रान्तों को दी जायें। मैं तो मौलाना साहब की तकरीर का मतलब यही समझा कि केन्द्र को कोई ताकत ही न दी जाये और इस तरह हिन्दुस्तान टुकड़ों-टुकड़ों में बंटा रहे। आज इस बात की जरूरत है कि हिन्दुस्तान मजबूत हो। हिन्दुस्तान का वर्षों से पुराना इतिहास यह रहा है कि हम टुकड़ों में बंटे रहे हैं, मगर इस वक्त देश में एक मजबूत सेन्टर होने की आवश्यकता है।

मैं एक देशी रियासत से आया हूं और मैं कहता हूं कि सेन्टर मजबूत रहना चाहिये। मैं देशी नरेशों से, यहां जो मिनिस्टर हैं उनसे और जो रियासतों के प्रतिनिधि हैं उन सबसे कहूंगा कि वे ज्यादा से ज्यादा ताकत केन्द्र को देकर उसको मजबूत करें, जिससे कि हिन्दुस्तान एक बहुत अच्छा देश बन सके। इसलिये यह जो स्थगित करने की दलीलें हैं यह सब गलत हैं और इससे देश को नुकसान पहुंचता है। हम देर नहीं कर सकते हैं। जैसा कि अभी श्री पट्टानी साहब ने कहा कि जब तक यूनियन पावर्स का मसला तय नहीं हो जाता, उस वक्त तक कान्स्टीट्यूशन की रूप-रेखा भी हम तय नहीं कर सकते हैं। इसलिये बहुत जरूरी है कि यूनियन पावर्स का मसला हाथ में लिया जाये और यह हरगिज स्थगित न किया जाये।

***श्री मोहम्मद शरीफः** साहब सदर, मौलाना हसरत मोहानी की तकरीर को मैंने बहुत दिलचस्पी के साथ सुना है। मौलाना ने बहुत से दलायल इस रिजोल्यूशन के मुल्तवी करने के लिये दिये हैं। जिस जज्बे के मातहत मौलाना ने तकरीर की है मैं उस जज्बे की वाकई कद्र करता हूं अगरचे मैं सोशलिस्ट रिपब्लिक से, जिसके मुतअल्लिक उन्होंने अपने ख्यालात का इजहार किया है, पूरी तौर से इत्तफाक नहीं करता हूं। लेकिन इस करारदार के मुल्तवी करने की जो तजवीज है, मेरे ख्याल में बहुत अच्छी तजवीज है। यूनियन पावर्स कमेटी की रिपोर्ट के मुताल्लिक इसके साथ जो तीन लिस्टें मुन्सलिक हैं जिसको पढ़ने की कोशिश की गई है तो इससे यह जाहिर होता है कि सेंटर रियासतों के मुताल्लिक जितनी ताकत है, वह सर्फ करे। आप जानते हैं कि गुजिश्ता दो हफ्ते हुये जब वायसराय बहादुर

[श्री मोहम्मद शरीफ]

ने स्टेटमेंट दिया था। उसमें उन्होंने यह कहा था कि जहां तक कान्स्टीट्यूऐंट असेम्बली का, रियासतों का ताल्लुक है वह उनके अन्दरूनी मामलात में कोई दखलदेही करना नहीं चाहते, लेकिन यूनियन कमेटी की रिपोर्ट हमारे सामने है। इसको पढ़ने के बाद हम यह देखते हैं और अफसोस के साथ देखते हैं कि मरकज इन अख्तयारात के अलावा जो तीन अबवाब हैं उन पर ताकत सर्फ करना चाहता है। हमारे मरकज की जो कांग्रेस पार्टी है और जो एक जबर्दस्त पार्टी है उसने यह ऐलान किया है कि रियासतों के अन्दरूनी मामलात में वह दखल देना नहीं चाहती। लेकिन मैं यह कहने पर मजबूर हूं कि रिपोर्ट जो हमारे सामने पेश है वह इतनी तसल्लीबख्श है जैसी होनी चाहिये। इसके तहत मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि इस रिपोर्ट को फिलहाल मुल्तवी कर दिया जाये जैसा कि अगले मुकर्रिर ने कहा है और एक ऐसी कमेटी जिसमें स्टेट्स के रिप्रेजेंटेटिव हों, बना दी जाये। और यह रिपोर्ट इस कमेटी के सामने पेश कर दी जाये, वह इस सवाल पर काफी गौर करके अपना फैसला दे ताकि हम फिर से इस पर गौर कर सकें।

***श्री नजीरुद्दीन अहमद** (पश्चिमी बंगाल: मुस्लिम): श्रीमान्, इस स्थगन-प्रस्ताव का मैं समर्थन करना चाहता हूं, पर उस हद तक नहीं जितना कि स्वयं संशोधन में किया गया है और न उस आधार पर जिस पर उसका समर्थन हुआ है। मैं सभा के सामने वे कठिनाइयां रखना चाहता हूं जो उन सदस्यों के रास्ते में हैं जो इस समस्या को हल करना चाहते हैं; और इस कारण तथा अन्य कारणों से भी मैं सभा से इस सुझाव पर विचार करने का अनुरोध करूंगा कि एक कमेटी नियुक्त कर दी जाये, जो 28 अप्रैल की तथा इस समय विचाराधीन दोनों ही रिपोर्टों को एकजा करके सभा के सामने एक नई रिपोर्ट पेश करे, जिसमें उन महत्वपूर्ण परिवर्तनों का ध्यान रखा जाये जो दूसरी रिपोर्ट तैयार होने के बाद से हो चुके हैं। इस नई कमेटी के सदस्यों के बारे में मुझे कुछ नहीं कहना है।

विद्वान प्रस्तावक ने उर्दू और अंग्रेजी में बारी-बारी से जो विचार प्रकट किये हैं, वे मुझे बिजली की वैकल्पिक धाराओं के समान मालूम देते हैं; जैसा मैं नहीं करना चाहता। इससे कुछ सदस्यों को काफी असुविधा हुई है और रिपोर्टरों को भी मेहनत करनी पड़ी है; क्योंकि उनमें से कुछ केवल अंग्रेजी के भाषण लिख सकते हैं और कुछ केवल उर्दू के।

श्रीमान्, मेरी अर्ज है कि 28 अप्रैल की रिपोर्ट एकदम पुरानी पड़ गयी है, किन्तु माननीय प्रस्तावक श्री आयंगर ने फिर भी कहा है कि इस रिपोर्ट के उन

अंशों पर भी विचार कर लिया जाये, जो विचाराधीन रिपोर्ट के प्रतिकूल नहीं हैं। जो सदस्य 3 जून के वक्तव्य के अनुसार चुने गये हैं, उनकी ओर से मुझे कहना चाहिये कि पहली रिपोर्ट हमारे सामने नहीं है और—जैसाकि बताया जा चुका है—दूसरी रिपोर्ट भी अधिकांश पुरानी पड़ गयी है, जिसका कारण यह है कि भारतीय स्वाधीनता कानून का जन्म उसके प्रकाशित हो जाने के बाद हुआ है। इस प्रकार एक नई रिपोर्ट की नितान्त आवश्यकता है।

इसके अतिरिक्त एक अन्य कठिनाई भी पैदा हो गई है। अखबारों की खबरों से हमें मालूम हुआ था कि राज्य तीन विषयों—रक्षा-व्यवस्था, परराष्ट्र विषय तथा यातायात (कम्युनिकेशन्स)—के ही संबंध में सम्मिलित हुये हैं। किन्तु श्री आयंगर ने हमें बताया है कि वास्तविक सम्मेलन-पत्र में वस्तुतः 18-20 निश्चित सिरों के नीचे विषय दिये गये हैं।

मैं समझता हूं कि हमें इस तरह के कागजातों की मौजूदगी की कोई खबर नहीं है और मेरा ख्याल है कि उन महत्व के कागज-पत्रों की प्रतियां हमें तुरंत दी जानी चाहियें। इस दृष्टि से यह और भी महत्वपूर्ण है क्योंकि सूचियों के कुछ विषयों का ताल्लुक राज्यों से होगा। इन महत्वपूर्ण कागजों के बिना, हम यह निश्चय करने की स्थिति में नहीं है कि उक्त सूचियां राज्यों के संबंध में कहां तक लागू हैं।

फिर, आज ही एक वक्ता ने यह भी कहा है कि प्रांतों के लिए लागू होने वाली तथा राज्यों पर लागू होने वाली विभिन्न सूचियों में भेद रखा जाना चाहिये। चूंकि ये दोनों एक में ही मिली हुई हैं, इसलिए उनमें भेद करना तथा यह मालूम करना कि उनमें क्या संशोधन सुझाने चाहियें, कठिन है।

इसके अतिरिक्त, अन्य कठिनाइयां भी हैं। मैं मानता हूं कि मूल प्रस्ताव के प्रस्तावक महोदय ने अपने सुबोध भाषण में सारे विषय को बड़े ही पांडित्य के साथ समझाया है। किंतु यह विषय स्वयं ही बहुत विशिष्ट प्रकार का तथा जटिल है। इसलिए सदस्यों के इन विभिन्न सूचियों तथा विचाराधीन प्रश्न को अच्छी तरह से समझ सकने के लिए, उस पर बड़ी सावधानी से विचार करने की जरूरत है। इन्हीं कारणों से मेरी अर्ज है कि इसका विचार प्रलय के दिन तक के लिए नहीं, जैसा कि सुझाया गया है, पर कुछ समय तक के लिए स्थगित कर दिया जाये। मेरा सुझाव है कि मूल प्रस्ताव के प्रस्तावक महोदय को एक छोटी सी कमेटी नियुक्त किये जाने के लिए राजी हो जाना चाहिये, जो अपनी बैठक करके

[श्री नजीरूद्दीन अहमद]

सारी बातों पर उक्त परिवर्तनों की दृष्टि से विचार कर सके और यह साफ करते हुए कि प्रांतों, राज्यों तथा केन्द्र के लिए लागू होने वाली सूचियों में क्या भेद है, हमें एक पूरी रिपोर्ट दे सके। मैं समझता हूं कि यह एक उचित प्रार्थना है और इसका अभिप्राय कार्य में देरी करने का नहीं है। फुर्ती के साथ कार्य सम्पन्न किये जाने के लिए हम उतने ही उत्सुक हैं जितने कि अन्य लोग और इसलिए मैं सोचता हूं कि जो तरीका मैंने सुझाया है उस पर अमल करके स्थिति सुविधाजनक बनाई जा सकती है। इन्हीं कुछ शब्दों के साथ मेरा निवेदन है कि थोड़ा सा समय दिया जाना चाहिये और हमें अधिक विस्तृत रिपोर्ट प्राप्त होनी चाहिये, ताकि हम सरलता के साथ विषय को समझ सकें।

***अध्यक्षः** अब दीवान चमनलाल बोलेंगे।

श्री अलगू राय शास्त्री (संयुक्त प्रांतः जनरल): श्रीमान् अध्यक्ष महोदय, इस संशोधन पर अब राय ले ली जाये। इस पर अधिक बहस करने की आवश्यकता नहीं। मैं क्लोजर मूव करता हूं। बहुत समय दिया जा चुका है।

***अध्यक्षः** मैं दीवान चमनलाल को बोलने के लिए पहले की बुला चुका हूं। उनके भाषण के बाद मैं बहस बंद करूंगा।

***दीवान चमन लाल** (पूर्वी पंजाबः जनरल): श्रीमान्, बहस सुनने में यह जानकर मुझे आश्चर्य हुआ कि हमारे देश के अति योग्य तथा बुद्धिमान नेता श्री एन॰ गोपालस्वामी आयंगर द्वारा पेश किये गये इस प्रस्ताव के संबंध में कुछ गलतफहमी में हैं। मुझे ऐसा प्रतीत हुआ कि विचार स्थगित रखने का प्रस्ताव पेश करने से पहले मानों इन लोगों ने रिपोर्ट को पढ़ा तक नहीं है।

सभा के सामने मुख्य प्रश्न यह हैः रिपोर्ट, इस सभा के सामने दो भागों में उपस्थित की गई है, एक अप्रैल के महीने में और दूसरी अगस्त के महीने में। दूसरे शब्दों में, एक 3 जून की घोषणा से पहले और दूसरी उस घोषणा के बाद में। प्रस्ताव यह है कि इस रिपोर्ट के दोनों भागों पर विचार कर लिया जाये।

इस पर मौलाना हसरत मोहानी ने यह प्रश्न उठाया कि जब तक कि यूनियन विधान कमेटी की अंतिम रिपोर्ट सभा के सामने उपस्थित नहीं कर दी जाती, उक्त

रिपोर्ट पर विचार न किया जाना चाहिये। आपको समझना चाहिये कि यह एकदम साधारण बुद्धि में आने वाली बात है कि जब तक कि आप उन लोगों से, जिनका कि इससे संबंध हो, यह न कह दें कि यूनियन के विधान में क्या अधिकार रखे जाने को हैं और जब तक कि आप प्रांतों तथा केन्द्र आदि के बीच अधिकारों का वितरण न कर दें तब तक यूनियन विधान कमेटी की अंतिम रिपोर्ट इस सभा में उपस्थित नहीं की जा सकती। जब तक कि आपको स्वयं अपनी स्थिति का ठीक पता नहीं हो जाता कि आया आपको क्या अधिकार मिलने वाले हैं और प्रांतों को क्या अधिकार मिलने को हैं और समवर्ती सूची में क्या विषय रखे जाने को हैं, तब तक आप कोई अंतिम रिपोर्ट नहीं पेश कर सकते। इसलिए मैं अर्ज करता हूं कि मौलाना हसरत मोहानी द्वारा दिये गये तर्क ही असंगत एवं दोषयुक्त हैं।

मैं समझता हूं कि विचार-स्थगन प्रस्ताव के समर्थन में बोलने वाले दूसरे वक्ता महोदय, कूच बिहार राज्य के प्रतिनिधि हैं। वे उस राज्य के दीवान हैं। वे ऐसे राजनीतिज्ञ हैं, जिनके संबंध में समझा जाता है कि उस राज्य के लोगों का भाग्य उनके हाथ में है। उन्होंने यह असाधारण आपत्ति की: आपने हमें एक रिपोर्ट दी; फिर आपने हमें दूसरी रिपोर्ट दी। हम इन दोनों रिपोर्टों के समझने में असमर्थ हैं। इसलिये यदि एक तीसरी रिपोर्ट दी जाये, तो पहले की दोनों रिपोर्टें समझने में हमें सहायता मिल सकती है। (*हंसी*) मैं यह जरूर अर्ज करूंगा कि श्री गोपालस्वामी आयंगर का प्रस्ताव साधारण-सा है। किसी न किसी प्रकार का संघ-शासन रखने के लिए यह सभा सहमत हो चुकी है और श्री गोपालस्वामी आयंगर हमसे केवल यह निश्चय करने का अनुरोध कर रहे हैं कि इस संघ-शासन के अधिकार क्या होंगे। इस अवस्था में आपको उन अधिकारों के प्रकार तथा परिमाण पर, जो आप चाहते हैं, बहस करने का हक है। आप कह सकते हैं, जैसा कि कुछ लोगों ने कहा भी है कि यूनियन की संघीय सत्ता उल्लिखित तीन विषयों तक ही सीमित रखी जानी चाहिये। पहली रिपोर्ट में आपको इन तीनों विषयों की तफसील बतायी गयी है; वे अधिकार जो केन्द्र, प्रान्तों आदि में स्थिर होंगे। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि उसके मत से, कुछ शेष अधिकार भी हैं जो यूनियन के सुपुर्द किये जा सकते हैं और इनके अलावा कुछ अन्य अधिकार हैं जो 16 मई की योजना के अंतर्गत नहीं पैदा होते थे, जिन्हें भी केन्द्र अपने तई ले सकता है। पहली रिपोर्ट में यही बातें बतायी गयी हैं। उसकी कोई बात संदिग्ध नहीं है और तफसील भी दे दी गयी है।

[दीवान चमनलाल]

दूसरी रिपोर्ट 3 जून वाले वक्तव्य के बाद आयी, जब सभा ने निश्चय किया कि केन्द्र मजबूत होना चाहिये। इसमें केन्द्र और प्रान्तों के बीच अधिकारों का बंटवारा किया गया है और तीन सूचियों–संघीय सूची, प्रान्तीय सूची तथा समवर्ती या सहगामी (कांकरेन्ट) सूची–हमारे सामने रखी गयी हैं। अब क्या इन सूचियों में कोई ऐसी चीज है जिस पर किसी को आपत्ति हो? ये आपत्तियां करने का यही समय है। यदि राज्यों या प्रान्तों द्वारा आप कोई अधिकार केन्द्र के नाम किया जाना पसंद नहीं करते, तो इस विषय में बहस का यही समय है। मैं नहीं समझता कि इस प्रश्न के स्थगित किये जाने की मांग सकारण तथा तर्कयुक्त है। मेरी अर्ज है कि यह तो केवल काम टालने का प्रस्ताव है, जिसका समर्थन किसी उचित तर्क द्वारा नहीं किया जा सकता। हमें रिपोर्ट में दी गयी बातों पर विचार शुरू करना चाहिये।

***अध्यक्ष:** विवादान्तक प्रस्ताव हो चुका है। अब मैं यह प्रस्ताव सभा के सामने रखता हूं। प्रश्न है कि–''अब मत लिया जाये।''

विवादान्तक प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया।

***श्री एन॰ गोपालस्वामी आयंगर:** विचार-स्थगन के प्रस्ताव पर यह जो बहस हुई है, शिष्टता के लिए मुझे इस सभा में उसका उत्तर देना चाहिये। अन्यथा मैं सोच सकता था कि विस्तार के साथ मुझे उत्तर देने की आवश्यकता नहीं है। मैं केवल यही कहना चाहता हूं कि दीवान चमनलाल ने अपने भाषण में जो बातें कहीं हैं, वे विचार-स्थगन प्रस्ताव के समर्थन में दिये गये तर्कों का पूर्ण उत्तर हैं। दीवान चमनलाल ने जो बातें कही हैं, उन्हें मैं मानता हूं और कुछ अधिक कहना नहीं चाहता। श्रीमान्, मेरी प्रार्थना है कि आप इस प्रस्ताव पर मत (वोट) ले लें।

***अध्यक्ष:** मौलाना हसरत मोहानी के विचार-स्थगन प्रस्ताव को अब मैं मत लेने के लिए रखता हूं। वह इस प्रकार है:

''जैसा कि स्वयं पंडित जवाहरलाल नेहरू ने तजवीज किया है, यूनियन विधान की संशोधित एवं अंतिम रिपोर्ट तथा संशोधित लक्ष्य-प्रस्ताव की रिपोर्ट पर भी, विधान-परिषद् के आगामी अधिवेशन में विचार हो जाने से पहले, यूनियन अधिकार कमेटी की रिपोर्ट पर विचार न किया जाये।''

प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया गया।

***अध्यक्षः** अब मैं उन संशोधनों को लेता हूं, जिनकी कि सूचना मुझे प्राप्त हो चुकी है। पहला संशोधन श्री डी॰ पी॰ खेतान का है। सूची 2 का नम्बर 1।

***श्री डी॰ पी॰ खेतान** (पश्चिमी बंगालः जनरल): सभापति महोदय, जहां तक कि श्री गोपालस्वामी आयंगर द्वारा रखे गये प्रस्ताव में केवल दूसरी रिपोर्ट का उल्लेख किया गया था, मैंने एक संशोधन की सूचना दी थी कि.....।

***मि॰ तजम्मुल हुसैनः** मैं एक व्यवस्था संबंधी बात कहने के लिए खड़ा होता हूं। श्री गोपालस्वामी आयंगर के मूल प्रस्ताव पर बहस नहीं हुई है। हमने केवल विचार-स्थगन पर विचार किया था और वह गिर गया। अब हमें मूल प्रस्ताव पर विचार करना चाहिये।

***अध्यक्षः** मूल प्रस्ताव की बहस में, ये संशोधन उठेंगे ही। हां, तो श्री गोपालस्वामी आयंगर द्वारा पेश किये गये मूल प्रस्ताव का यह संशोधन है।

***श्री एन॰ गोपालस्वामी आयंगरः** रिपोर्ट पर विचार किये जाने के प्रस्ताव को मतदान के लिए रखना शायद पार्लियामेन्टरी पद्धति के अनुकूल होगा; उसके स्वीकार हो जाने पर संशोधनों पर भी एक-एक करके विचार किया जा सकता है। मेरा ख्याल है कि सदस्य महोदय का कहना ठीक है।

***अध्यक्षः** तब मैं यह मूल प्रस्ताव कि रिपोर्ट पर विचार किया जाये, मत लेने के लिए रखता हूं। क्या कोई सदस्य इस प्रस्ताव पर बोलना चाहते हैं?

***श्री हुसैन इमामः** सभापति महोदय, मेरा विश्वास है कि इस सर्वाधिक महत्वपूर्ण विषय पर हम अत्यधिक महत्व का निश्चय कर रहे हैं। इसलिए यह आवश्यक है कि शांति एवं स्थिरता के साथ हम इस रिपोर्ट की सारी बातों पर विचार कर लें। श्रीमान्, मैं मुस्लिम लीग पार्टी की ओर से नहीं, बल्कि भारत के एक नागरिक की हैसियत से बोल रहा हूं। मेरा ख्याल है कि मामले के प्रति इस विधान-परिषद् का प्रयास उससे भिन्न होना चाहिये, जो कि श्री गोपालस्वामी आयंगर ने किया है। मैं महसूस करता हूं कि जो लोग पहले से अमीर हैं उन्हें अधिक अमीर न होने दिया जाना चाहिये और जो गरीब हैं, उनकी गरीबी और न बढ़ने दी जानी चाहिये। मेरे कहने का मतलब यह है कि हममें से वे लोग सौभाग्य अथवा दुर्भाग्यवश जो देशी राज्यों में रहते हैं, जहां की शासन-व्यवस्था

[श्री हुसैन इमाम]

में वे बोल नहीं सकते, जहां की विधान-व्यवस्था में कुछ कहने का अधिकार उन्हें नहीं है, पहले से भी अधिक सोचनीय अवस्था में न पड़े रहने दिये जाने चाहियें। स्थिति यह है कि भूतपूर्व ब्रिटिश भारत में आज व्यवस्थापक-मंडल और उनकी व्यवस्था के लिए लोकतंत्र तथा प्रजाप्रिय प्रतिनिधि मौजूद हैं। पर राज्यों में इन तीनों में से एक भी नहीं है। तो भी पैरा 3 में कहा गया है कि देशी राज्यों पर केवल उसी सीमा तक नियंत्रण रहेगा, जहां तक कि वे केन्द्र में सम्मिलित होना पसंद करें। तो ये लोग कौन हैं, जो इसका निश्चय करेंगे? राज्य के शासकों को, जिस प्रकार भी वे चाहें, स्वराज्य का अधिकार दे दिया गया है। हमारे कुछ आधुनिक राज्यों के प्रति मेरे दिल में बहुत इज्जत है। कुछ राज्य ऐसे हैं कि उनकी शासन-व्यवस्था ब्रिटिश भारत से भी अच्छी है और सामाजिक औचित्य तथा सामाजिक समानता के मामलों में जो ब्रिटिश भारत की अगुवायी कर सकते हैं। कुछ देशी राज्य ऐसे हैं कि उनकी तुलना छोटे प्रांतों तथा चीफ-कमिश्नर के इलाकों से की जा सकती है, किंतु पांच सौ से भी कुछ अधिक राज्यों में से अधिकांश केवल भारत-सरकार के राजनीतिज्ञ विभाग के सौजन्य तथा खुशी के कारण ही राज्य कहलाते हैं। श्रीमान्, पहली बात मैं यह चाहता हूं कि देशी राज्यों को जो ये अधिकार तथा विशेषाधिकार दिये जा रहे हैं, वे 562 ही राज्यों को न दिये जाएं। अधिक से अधिक ऐसे दो-तीन दर्जन ही राज्य हैं, जो आर्थिक दृष्टि से प्रांतीय स्वराज्य की समानता कर सकते हों। प्रांतीय स्वराज्य तो हमें कुछ ही राज्यों को देना चाहिये और भारत के अधिकांश राज्यों को या तो अन्य राज्यों में शामिल होकर अपने यूनिट (इकाइयां) बना लेने चाहियें या उन्हें फिर ब्रिटिश भारत में मिला लिया जाना चाहिये। इन निरंकुश शासकों को बम्बई व्यवस्थापक-मंडल या मध्य-प्रांतीय मंत्रिमंडल द्वारा प्रयुक्त अधिकारों से भी अधिक अधिकारों का प्रयोग करने देना हमारी गलती है। प्रजा के प्रतिनिधि भी हैं, किंतु वे भी उन अधिकारों का प्रयोग नहीं कर सकते, जो राज्यों के इन निरंकुश शासकों द्वारा बरते जाते हैं।

देश की रक्षा-व्यवस्था का खर्च केन्द्रीय सरकार को उठाना पड़ता है। रक्षा-व्यवस्था के इस खर्च में देशी राज्य प्रति व्यक्ति के आधार पर या आमदनी के आधार पर क्या हिस्सा बंटाने को तैयार है? उनका कहना है कि प्रांत भी इसमें कोई हिस्सा नहीं बंटा रहे हैं। किंतु ये प्रांत संघीय कर चुकाते हैं, जिन्हें राज्य अपने लिए वसूल करना चाहते हैं। संघीय कर लगाने के राज्यों के अधिकार

छीन लिए जाने चाहिये। इस रिपोर्ट से यह मेरा पहला और बुनियादी मतभेद है। संघ-सत्ता के सिवाय और किसी को भी संघीय-कर न लगाना चाहिये, चाहे वह ब्रिटिश राज्य हों अथवा देशी (भारतीय)। अपनी इस व्यापक उक्ति से मैं भारत के सर्वाधिक आधुनिक राज्य को भी न बरी करूंगा, किंतु इतनी रियायत कर सकता हूं कि मैं देशी राज्यों को उतनी ही मात्रा में अधिकार दिये जाने में सहमत हूं, जितने कि आपने सूची 2 के अंतर्गत प्रांतों को दिये हैं। किसी भी देशी राज्य को उससे अधिक न दिया जाना चाहिये। समवर्ती (कांकरेन्ट) सूची को भी पुराने ब्रिटिश भारत तथा देशी राज्यों दोनों पर समान रूप से लागू होना चाहिये। ब्रिटिश भारत आज विद्यमान नहीं है, पर हम उसकी सारी बुराइयों के उत्तराधिकारी बन रहे हैं। जिनकी कोई हस्ती नहीं है, उन्हें व्यापक अधिकार देकर जो बुराइयां पैदा की गयी थीं, इस सभा की स्वीकृति द्वारा उन्हें प्रतिष्ठित न करना चाहिये। हमें पैरा 3 में इस प्रकार संशोधन करना होगा, ताकि संघीय-कर सब यूनिटों पर लगा सकने की केन्द्र की सर्वोपरि सत्ता उसके क्षेत्र में आ जाये।

श्रीमान्, इस सिलसिले में मैं महत्व की एक बात का भी जिक्र कर देना चाहता हूं। स्वीकृति-पत्र (इंस्ट्रूमेंट आफ ऐक्सेशन) में इस पर जोर दिया गया है कि 16 मई के वक्तव्य से बाहर की शर्तें राज्यों की अनुमति से होनी चाहिये। 16 मई का वक्तव्य रद्द हो गया है। अब उसका अस्तित्व नहीं है। समझौता न होने का वह भी एक कारण था और उसी के कारण 3 जून का वक्तव्य निकाला गया। अन्य हर काम के लिए आपने 16 मई का वक्तव्य रद्द कर दिया है, पर केवल देशी राज्यों के लिए आप उसे जीवित रख रहे हैं। गुटों की व्यवस्था उड़ा दी गई है केन्द्रीय अधिकारों का केन्द्र तथा गुटों के बीच का बंटवारा उड़ा दिया गया है और यूनिटों की संख्या उड़ा दी गई है। हर चीज उड़ा दी गई है और सर्वसत्तायुक्त सभा की हैसियत से हम 16 मई वाले वक्तव्य से बद्ध नहीं हैं। इस युक्ति का सहारा लेना कि 16 मई के वक्तव्य में यह व्यवस्था और वह व्यवस्था थी, गलत है। आपकी ऐसी जो भी व्यवस्था थी, वह सब 14 अगस्त की अर्धरात्रि की कार्रवाई से उड़ गयी है। अब आपके सामने कोई त्रुटि नहीं है। ब्रिटिश-साधारण सभा (हाउस आफ कामन्स) द्वारा जो स्वाधीनता कानून पास किया गया है, वह भी हमारे सामने है और हम उसमें भी संशोधन कर सकते हैं। आपको इसका अधिकार प्रदान किया गया है। इसलिए, श्रीमान्, मेरा दावा है कि 16 मई के वक्तव्य के पीछे सहारा लेना उचित नहीं है। यदि राज्य शामिल होने को तैयार नहीं हैं तो मेरी समझ से यह अच्छा होगा कि वे बाहर रहें; आर्थिक दबाव तथा अन्य सबल अनुरोधात्मक तरीकों से जिनका कि प्रयोग केन्द्रीय सरकार कर सकती है, हम उन्हें ठीक रास्ते पर ला सकते हैं। पर हम उनसे क्या कराना

[श्री हुसैन इमाम]

चाहते हैं? हम किसी भी प्रकार से उनके अधिकार हड़पना नहीं चाहते। हम उन्हें वही बनाना चाहते हैं, जो वे वास्तव में हैं, अर्थात् एक संघ-शासन की इकाइयां (यूनिट)। इकाइयों को विभिन्न अधिकारों, कार्यों तथा कर-व्यवस्था का प्रयोग करते हमने कभी नहीं सुना। यह एक ऐसी बात है जो लोकतंत्र के सिद्धांतों के भी बहुत कुछ अनुकूल होगी और यही कारण है कि विधान-परिषद् के अपने मित्रों से मेरी प्रार्थना है कि इस मामले पर वे शांतिपूर्वक विचार करें और देशी राज्यों के प्रति किसी द्वेष या दुर्भाव से प्रेरित न होकर वे इसका निश्चय करें। यह हमें खुले दिल और ईमानदारी से करना चाहिये। और देशी राज्यों को भी ईमानदार रहना चाहिये। वे ऐसा अधिकार प्राप्त करने का दावा ही क्यों करें जिसका दावा मेरे मित्र पंडित शुक्ल अपने मध्य-प्रांत तक के लिए नहीं करते? यदि वे अपने अधिकारों से संतुष्ट हैं, तो रीवां या मध्य-प्रांत के इलाके में पड़ने वाले अन्य राज्य अधिक बड़े अधिकार क्यों चाहते हैं? यह केवल धर्म तथा न्याय की बात है। इसका अर्थ है कि इन दो बातों में सामंजस्य होना चाहिये। चाहे कर-व्यवस्था हो या विधान-व्यवस्था, देशी राज्यों को यूनिटों से अधिक अधिकार कदापि न मिलने चाहियें।

***अध्यक्षः** मालूम देता है कि अन्य कोई वक्ता बोलने को राजी नहीं है। अतएव मैं प्रस्ताव को मतदान के लिए रखता हूं। वास्तव में अब 1 बजने में सिर्फ 5 मिनट रह गए हैं।

***एक माननीय सदस्यः** बहस की समाप्ति (क्लोजर)।

***दूसरा माननीय सदस्यः** नहीं श्रीमान्, ऐसा बहुत ही अनुचित होगा।

***अध्यक्षः** इस संबंध में एक वक्ता बोले हैं। क्या सभा की इच्छा है कि बहस और होनी चाहिये।

***अनेक माननीय सदस्यः** हां, श्रीमान्।

***अध्यक्षः** जो भी बोलना चाहता हो, पांच मिनट तक बोल सकता है। पांच मिनट अब भी बाकी हैं।

***श्री के० संतानम्ः** सभापति महोदय, अधिकार-वितरण की जो व्यवस्था यूनियन-पावर्स-कमेटी द्वारा हमारे सामने रखी गई है, उसकी तफसील में मैं जाना नहीं चाहता। जब मदों पर बहस होगी, तो हर मद के संबंध में अपनी बात मैं

स्वयं कहूंगा; किन्तु कुछ आम बातें भी हैं, जिनका हमें इन मदों का विचार करते समय ख्याल रखना है। दयनीय बात है कि पिछले 6 महीनों के भीतर हमारी राजनीति बहुत ही डांवाडोल रही है, जिसका नतीजा यह हुआ है कि स्वयं हमारे नेताओं को भी अपने विचार एक चरम-सीमा से लेकर दूसरी चरमता तक दौड़ाने पड़े हैं। मंत्रि-मिशन-योजना का विचार यह था कि यूनिट पूर्णत: स्वायत्त और सर्व-सत्ता-युक्त भी रहने चाहिये तथा उन्हें अपने अधिकार का थोड़ा अंश केन्द्र को सौंप देना चाहिये। निस्संदेह उसमें गुट-विधान की जटिलता थी और सारी चीज स्पष्ट छोड़ दी गई थी; पर जहां तक केन्द्रीय सरकार का संबंध था, उसके अधिकार बहुत ही सीमित रहने थे। हमारे कुछ नेता एक कमेटी में, इन अधिकारों की व्याख्या करने के लिए भी रखे गये थे और उन्होंने इन अधिकारों के विस्तार की, जहां तक कि वे विस्तृत हो सकते थे पूरी कोशिश की। मुझे संदेह है कि मंत्रि-मिशन-योजना के अमल मे आने पर वास्तविक परीक्षा में उक्त विस्तार शायद ही टिक पाता। किन्तु 3 जून वाली योजना तथा तज्जन्य स्वाधीनता कानून से स्थिति एक बारगी बदल गई। अब स्थिति यह है कि हमारा केन्द्र प्राय: यूनिटरी (संयुक्त शासनात्मक) है, जो कुछ अधिकार प्रांतों कों सौंपने का यत्न कर रहा है, और यूनियन पावर्स-कमेटी की सारी योजना इसी प्रणाली पर आधारित हैं। इसने भारतीय-शासन-विधान को अपना आधार बनाने का यत्न किया है और यह विचार किया है कि कौनसी मदें प्रांतीय सूची से समवर्ती सूची में और संघ-सूची में परिवर्तित की जा सकती हैं। मुझे भय है कि उसने इस समस्या को गलत तरह से हल करना चाहा है। इस देश के लिए इतनी मजबूत सरकार रखे जाने का मैं भी उत्सुक हूं, किंतु केन्द्र की मजबूती का मेरा विचार संभवत: उससे भिन्न है, जो यूनियन अधिकार कमेटी की रिपोर्ट में दिया गया है। मैं नहीं चाहता कि हर चीज के लिए केन्द्रीय सरकार ही उत्तरदायी बनायी जाये। प्रांतों के लोगों के कल्याण का प्राथमिक उत्तरदायित्व प्रांतीय सरकारों पर रहना चाहिये। केन्द्रीय सरकार का उत्तरदायित्व केवल सर्व-भारतीय मामलों में ही रहना और बरता जाना चाहिये। अतएव, एक केन्द्र की शक्ति-शालीनता, सर्व-भारतीय विषयों के प्रति न केवल उसके अधिकारों की पर्याप्तता, वरन् उन विषयों के प्रति जो सर्व-भारतीय क्षेत्र के नहीं बल्कि प्रांतीय क्षेत्र के हैं, उत्तरदायित्व से मुक्ति में भी है। अधिकारों के इस सकारात्मक एवं नकारात्मक सीमाकरण में ही एक वास्तविक संघ-शासन प्रणाली स्थिर होती है और मेरे विचार से कमेटी की रिपोर्ट द्वारा जिस रूप में संघीय अधिकारों की व्याख्या की गई है वह गलत है। उसके द्वारा केन्द्र पर हर प्रकार के अधिकारों का बोझ रखने का प्रयत्न किया गया है, जो कदापि न किया

[श्री के. सन्तानम्]

जाना चाहिये था। उदाहरण के लिए 'आवारगी' (वैग्रैंसी) को ही लीजिये। मैं नहीं समझ सकता कि 'आवारगी' को प्रांतीय सूची में से निकाल कर समवर्ती सूची में क्यों रखा गया है। क्या आप चाहते हैं कि सारा भारत आवारों के लिए परेशान हो। प्राय: एक धारणा-सी जम गई है कि हर प्रकार के अधिकार केन्द्र को देकर हम उसे शक्तिशाली बना सकते हैं। एक और विषय आर्थिक आयोजना का है, जो भी समवर्ती सूची में रखा गया है। मैं जानता हूं कि आयोजन एक वह अत्यधिक महत्वूर्ण कार्य है, जिसमें केन्द्रीय तथा प्रांतीय सरकारें पहले से लगी हुई हैं, और केन्द्रीय व प्रांतीय नीति में एकरूपता रखने की हमें कुछ कोशिश अवश्य करनी चाहिये। किंतु क्या उसे समवर्ती सूची में रखना उचित तरीका है, जिससे कि केन्द्र कोई भी अधिकार हथिया सकता तथा प्रांतीय विषयों के क्षेत्र में उदाहरणार्थ कृषि के क्षेत्र में भी, किसी यूनिट का अपने मन का आयोजन रोक सकता है? डेरियों के मामले तक में, केन्द्र बिल पास कर सकता और अपने इच्छानुसार अपने लिये अधिकार ले सकता है। मेरा कहना है कि यूनियन विधान के एक पृथक अंश में यह व्यवस्था की जानी चाहिये थी कि आयोजन संबंधी कौन से अधिकार यूनियन सरकार को रखने चाहियें और आयोजन संबंधी कौन से अधिकार प्रांतीय सरकार को मिलने चाहियें, और परामर्श तथा समिति के द्वारा इन अधिकारों में एक सूत्रीकरण किस प्रकार स्थापित रखा जाना चाहिये—न कि केवल यह कह देना काफी था कि आयोजन की यह सर्वाधिक महत्वपूर्ण मद समवर्ती सूची की मदों में भी रखी गई है।

अब, अर्थ-व्यवस्था संबंधी वितरण लीजिये। मालगुजारी और मादक द्रव्यों के आबकारी-कर जैसी कम पड़ती जाने वाली एक-दो मदों को छोड़कर, अन्य सारी कर-व्यवस्था संघ-सूची में रखी गई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि अंश-निर्धारण की कुछ व्यवस्था रहनी चाहिये। पर जब तक मदों के साथ ही वसूली के हिस्सा बांट का तरीका भी नहीं दिया जाता, तब तक प्रांतों को केन्द्र के दरवाजे का भिखारी ही समझना चाहिये। मैं ऐसा कोई भी विधान नहीं चाहता, जिससे यूनिट को केन्द्र के पास जाकर यह कहना पड़े कि "मैं अपने लोगों की शिक्षा-व्यवस्था नहीं करा सकता; मैं उनके लिए सफाई का बंदोबस्त नहीं कर सकता; सड़कें सुधारने के लिए, उद्योग-धंधों के लिए, आरम्भिक शिक्षा के लिए मुझे दान दीजिये।" भले ही हम संघ-शासन (फेडरल) प्रणाली हटा दें और संयुक्त-शासन (यूनिटरी) प्रणाली अपनायें। आज हमारी अर्थ-व्यवस्था संबंधी स्थिति यह है कि चाहे आप केन्द्र को कर-व्यवस्था संबंधी सारे ही अधिकार क्यों न दे दें, पर केन्द्र के पास

पर्याप्त अर्थ (रुपया) न होगा। फिर चाहे आप अर्थ-व्यवस्था संबंधी सारे अधिकार प्रांतों को ही दे दें, पर प्रांतों के पास भी काफी रुपया न होगा। क्योंकि, आरम्भिक शिक्षा-व्यवस्था के लिए ही अकेले, 'सार्जेंट कमेटी' की रिपोर्ट के अनुसार, केन्द्र तथा प्रांतों के सारे अर्थ की आवश्यकता पड़ेगी। इसी प्रकार यदि आप 'भोर कमेटी' के अनुसार सार्वजनिक स्वास्थ्य-व्यवस्था को लेते हैं, तो उसके लिए भी 300 करोड़ रुपयों की जरूरत होगी, जो रकम प्रांतीय तथा केन्द्रीय करों से वसूल होने वाली सारी रकमों का जोड़ है। यदि आप रक्षा-व्यवस्था को लें, तो वह कौनसी रकम है जिसे हम केवल जल-सेना या वायु-सेना या स्थल-सेना की एक मद पर ही खर्च नहीं कर सकते? आज हमारे पास इन मदों में से किसी एक के लिए भी काफी पैसा नहीं है। अतएव, विधान द्वारा न्यायोचित वितरण हमारे लिए आवश्यक है और उसे भविष्य में निर्मित की जाने वाली किसी टालने वाली रचना पर छोड़ देना ठीक नहीं है। हमें मौजूदा अर्थ-व्यवस्था का, जिस रूप में भी वह है, उचित वितरण करके कार्य आरम्भ करना चाहिये और फिर उन साधनों को बढ़ाना चाहिये। यदि अधिकारों का यह वितरण बिना अधिक छानबीन तथा सावधान परिवर्तन-संशोधन के स्वीकार कर लिया गया, तो तीन वर्षों के ही समय में सारे प्रांत केन्द्र के विरुद्ध विद्रोह कर देंगे और केन्द्रीय मंत्रिमंडल बड़ी ही शोचनीय अवस्था में पड़ जायेगा। हमें ऐसा विधान तैयार करना चाहिये जिसके अंतर्गत केन्द्र कह सके–''यह हमारा काम नहीं है, वयस्क मताधिकार के आधार पर निर्वाचित आपका गवर्नर मौजूद है, आपके अपने मंत्री भी हैं, उनके पास जाइये; हम उन्हें राजस्व के लचीले साधन दे चुके हैं।'' संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में क्या हो रहा है? केन्द्र तथा राज्य दोनों ही सब प्रकार के कर लगा सकते हैं। वे आय-कर लगा सकते हैं। प्रजा की इच्छा के सिवा, उन्हें इसमें रोकने वाला कोई नहीं है। वहां के मंत्री अथवा गवर्नर प्रजा के पास जाकर उनसे कह सकते हैं–''कर बिठाने के अधिकार हमें प्राप्त हैं; कर दीजिये और हम आपके लिए मनोरंजन की, सरकसों की तथा जो कुछ भी आप चाहेंगे उसकी व्यवस्था करेंगे।'' इसके बजाय यहां पर उन्हें यह कहना पड़ेगा–''हम आपके मनोरंजन की व्यवस्था करेंगे; केन्द्र को हमें रुपया देने दीजिये।'' यह एक शोचनीय अवस्था होगी, और केन्द्र के लिए एक कमजोर स्थिति होगी। जो नेता इस रिपोर्ट का काम संभाल रहे हैं, उन्हें मैं सचेत कर देना चाहता हूं कि वे सावधान हो जायें और सब प्रकार के विषयों को केन्द्र में ही न जोड़ते जायें।

उद्योग-धंधों का मामला लीजिये। रक्षा-संबंधी उद्योग एक केन्द्रीय मद है। दूसरी केन्द्रीय मद में 'कोई भी उद्योग' रखा गया है, 'जिसे कि संघ-व्यवस्थापक-मंडल, एक संघीय उद्योग घोषित करे'। प्रांतीय सूची में 'और कोई भी उद्योग' शामिल

[श्री के. सन्तानम्]

किया गया है, जिसे कि 'संघ व्यवस्थापक-मंडल' ने उक्त मद के अंतर्गत या रक्षा-संबंधी मद के अंतर्गत या रक्षा-संबंधी तैयारी के अंतर्गत, अपने लिए न ले लिया हो। प्रांत करेंगे क्या? उनसे कहा जायेगा कि अमुक उद्योग रक्षा-संबंधी तैयारी के अंदर या रक्षा-संबंधी उद्योगों के अंदर या अन्य उद्योग में जिसकी कि घोषणा संघ कानून द्वारा संघीय उद्योग होने की की जा चुकी है, आ जाता है और उसकी उन्नति का दायित्व उनका नहीं है। उनसे कहा जायेगा कि केन्द्र के पास जाइये। क्या यही तरीका है जिसके अनुसार हम कार्य करना चाहते हैं? नहीं, श्रीमान्, यदि आप कहना चाहें कि इस्पात तथा ऐसे ही अन्य उद्योग केन्द्र के नाम कर दिये जायेंगे और ग्रामोद्योग, मध्यम श्रेणी के उद्योग तथा खाद्य-संबंधी उद्योग जैसे अन्य धंधे प्रांतों के नाम कर दिये जायेंगे, तो यह स्वीकार्य होगा।

सदैव यही तर्क किया जाता है–''आखिर, केन्द्र में कौन लोग हैं? वे आपके ही प्रतिनिधि हैं। आप उनसे यह अपेक्षा क्यों करते हैं कि वे ऐसी बात करेंगे जिसे आप नहीं चाहते।'' मैं समझता हूं कि बहुधा यह एक गलती ही होती है। केन्द्रीय व्यवस्थापक मंडल का एक सदस्य होने के नाते, केन्द्र के लिए मैंने सदा ही अधिक रुपया चाहा है। यदि आप मुझे प्रांतीय व्यवस्थापक मंडल में रख दें, तो मैं प्रांतों के लिए अधिक रुपया चाहूंगा। समाज-संगठन की भावना एक अनिवार्य वस्तु है और वह हमें परास्त कर देती तथा हम पर विजय पा जाती है। इसलिए हमें देखना चाहिये कि यूनिट के अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण केन्द्र न करने पाये और केन्द्र के अधिकारों का अतिक्रमण यूनिट द्वारा न हो सके। चीजों को केवल यथार्थ एवं स्पष्ट बनाकर ही, उन्हें कानूनी अदालतों के निर्णय-योग्य बनाकर ही, आप संघ-शासन प्रणाली को अखंड रख सकते हैं। सब प्रकार के उद्योग, रक्षा संबंधी उद्योग तथा वे उद्योग जो संघ-कानून द्वारा संघीय घोषित किये जायें, केंद्र के हाथ में रखने से सारी प्रगति अवरुद्ध हो जायेगी।

सन् 1935 का भारत-शासन-विधान पास करते समय तथा सन् 1921 का कानून (एक्ट) पास करते समय, पार्लियामेंट ने सदा यही कहा–''हमने विशेष अधिकार तथा विवेक से काम लाने के अधिकार दिये हैं, पर हम नहीं समझते कि उन्हें प्रयोग करने की जरूरत कभी पड़ेगी।'' किन्तु क्या हमें ऐसा कोई एक भी अधिकार देखने को मिला, जिसका प्रयोग ही नहीं बल्कि अधिक से अधिक सीमा तक का प्रयोग, न किया गया हो? दफा 93 चरम सीमा की एक दफा समझा जाती थी। पार्लियामेंट में कहा गया था कि ऐसा कोई न होगा जो विधान को स्थगित कर

दे। किन्तु पहले ही दिन केवल एक टेकनिकल आधार पर गवर्नर ने एक आज्ञा पर हस्ताक्षर मात्र कर दिये और शासन-व्यवस्था अपने हाथ में ले ली।

***श्री एन० गोपालस्वामी आयंगर:** क्या मैं माननीय सदस्य से पूछ सकता हूं कि क्या पिछले कुछ वर्षों में किन्हीं बड़े उद्योगों को केन्द्र ने अपने अधीन ले लिया है?

***श्री के० सन्तानम्:** पिछले कुछ वर्षों में केन्द्रीय सरकार निश्चेष्ट अवस्था में रही है। नीति-कमेटी की रिपोर्टों द्वारा, हर प्रकार के उद्योग केन्द्रीय नियंत्रण में ले लिये जाने की सिफारिश की गई, पर कानून बनाने की व्यवस्था न हो सकी। निश्चेष्टता की यह अवस्था ही अनेक उद्योगों के केन्द्र के अधीन न लिये जाने की उत्तरदायिनी थी। मैं कहता हूं कि जब तक नई सरकार पर भी निश्चेष्टता की ऐसी ही कोई अवस्था नहीं आती, तब तक अनेक उद्योगों के उसके अपने अधीन न लेने पर मुझे आश्चर्य होगा। एक व्यक्ति कह सकता है कि बम्बई का कपड़े का उद्योग केन्द्र के अधीन लिया जा सकता है और वह ले लिया जायेगा। दूसरा व्यक्ति कहेगा कि दूध में मेल रहता है, अत: हमें डेरियों (दुग्धशालाओं) को ले लेना चाहिये। अधिकार की कोई सीमा नहीं है। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में भी संघ-सरकार अधिकाधिक अधिकार लेती चली जा रही है।

इसलिये श्रीमान्, मैं कहता हूं कि हम सावधान हो जायें; सारी ताकत हम केन्द्र को ही न सौंप दें। यूनिटों के लिए कुछ कार्य, कुछ उत्तरदायित्व तथा कुछ साधन रहने दीजिये। जब तक हम ऐसा न करेंगे, हमारे विधान का आधार मजबूत न होगा और सारी इमारत बैठ जायेगी। यही चेतावनी है, जो मैं यहां देना चाहता हूं।

स्वाधीनता कानून, अनुकूलन, नियम आदि का विचार करने के लिए कमेटी के सदस्यों के संबंध में घोषणा

***अध्यक्ष:** कल इस संबंध में फिर बहस होगी।

किन्तु बैठक स्थगित होने से पहले मैं एक घोषणा करना चाहता हूं। भारतीय स्वाधीनता कानून, 1935, के भारत-शासन-विधान के अनुकूलन (एडेप्टेशन), व्यवस्थापिका सभा (लेजिस्लेटिव असेम्बली) के नियमों तथा स्थायी आदेशों, विधान-परिषद् में चालू नियमों तथा स्थायी आदेशों आदि पर विचार करने और निम्न बातों के संबंध में रिपोर्ट देने के लिये श्री मावलंकर, मि० हुसैन इमाम,

[अध्यक्ष]

श्री पुरुषोत्तमदास टंडन, डा॰ अम्बेडकर, श्री अल्लादी कृष्णास्वामी अय्यर, श्री गोपालस्वामी आयंगर तथा श्री बी॰एल॰ मित्तर की एक कमेटी नियुक्त की जाती है:

(1) भारतीय स्वाधीनता कानून के अधीन, विधान-परिषद् का ठीक काम क्या है?

(2) एक विधान-निर्मात्री संस्था के रूप में विधान-परिषद् के कार्य में और उसके अन्य कार्य में विभेद करना क्या संभव है और क्या विधान-परिषद् पहले कार्य के लिये निश्चित दिन अथवा अवधियां अलग नियत कर सकती है?

(3) विधान-परिषद् में देशी रियासतों का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्यों को, क्या उन कार्रवाइयों में, जो विधान-निर्माण कार्य अथवा उन विषयों से जिनके संबंध में उक्त रियासतें सम्मिलित हुई हैं, ताल्लुक नहीं रखतीं, भाग लेने का अधिकार दिया जाना चाहिये?

(4) विधान-परिषद् या उसके सभापति द्वारा, क्या नये नियम या स्थायी आदेश, यदि कोई बनाने हों, बनाये जाने चाहियें और मौजूदा 'नियमों' (रूल्स) या स्थायी आदेशों (स्टैंडिंग आर्डर्स) में क्या संशोधन, यदि कोई करने हों, किये जाने चाहियें?

मैं समझता हूं कि इस बैठक के शुरू-शुरू में जिन बातों पर बहस हुई थी, वे इसके अन्दर आ गई हैं। मैं यह कमेटी नियुक्त कर रहा हूं और अपेक्षा करता हूं कि कमेटी हमें अपनी रिपोर्ट बहुत जल्द दे देगी।

***डा. पी॰एस॰ देशमुख** (मध्य प्रांत और बरार: जनरल): श्रीमान्, एक बात है जिसका सुझाव मैं देना चाहता हूं; वह है, उसी एक सदस्य के दो व्यवस्थापिका सभाओं का सदस्य होने की शक्यता अथवा अशक्यता की जांच। इसके बाद से, हम लोग....।

***अध्यक्ष:** मैं समझता हूं कि अनुकूलन (एडेप्टेशन्स) के अन्तर्गत यह आ जाती है।

कल दिन के दस बजे तक के लिये बैठक स्थगित की जाती है।

इसके बाद परिषद् की बैठक बृहस्पतिवार, 21 अगस्त, 1947 ई॰ के दस बजे दिन तक के लिए स्थगित हो गई।